

राजस्थान राजपत्र विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

माघ 18, शुक्रवार, शाके 1946- फरवरी 07, 2025 Magha 18, Friday, Saka 1946- February 07, 2025

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(॥)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

सांख्यिकी विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 31, 2025

एस.ओ.118 :- जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 18) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2025 है।
 - (2) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. नियम 5 का संशोधन.- राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000, जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 5 में,-
 - (i) विद्यमान उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-
 - "(1) जन्म, दत्तक बालक के जन्म, मृत्यु और मृत-जन्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए धारा 8 या, यथास्थिति, धारा 9 के अधीन रजिस्ट्रार को दी जाने वाली अपेक्षित इत्तिला प्ररूप सं. 1, 1-क, 2 और 3 में होगी, जिसे इसमें इसके पश्चात् सामूहिक रूप से रिपोर्टिंग प्ररूप कहा जायेगा, यदि इत्तिला मौखिक रूप में दी जाती है तो रजिस्ट्रार द्वारा उसे समुचित रिपोर्टिंग प्ररूप में दर्ज किया जायेगा और इत्तिला देने वाले के हस्ताक्षर कराये जायेंगे/अंगूठे का निशान लगवाया जायेगा।"; और

- (ii) विद्यमान उप-नियम (3) के पश्चात्, निम्निलिखित नये उप-नियम (4), (5) और (6) जोड़े जायेंगे, अर्थात्:-
 - "(4) नाम, जहां कहीं भी यह प्ररूपों में आता है, प्रथम नाम-मध्य नाम-अंतिम नाम के रूपविधान में उपबंधित किया जायेगा और नाम में कोई संक्षेपाक्षर नहीं होंगे।
 - (5) तारीख, जहां कहीं भी यह प्ररूपों में आती है, दिन-मास-वर्ष के रूपविधान में उपबंधित की जायेगी, जहां दिन दो अंकों में तारीख है, मास दो अंकों में मास है और वर्ष चार अंकों में वर्ष है।
 - (6) पता, जहां कहीं भी यह प्ररूपों में आता है, घर संख्यांक, परिक्षेत्र, वार्ड सं. (नगर के मामले में और यदि उपलब्ध है), नगर या ग्राम, उप-जिला/तहसील, जिला, राज्य और पिन कोड अंतर्विष्ट करेगा।"।

3. नियम 7 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 7 में,-

- (क) शीर्षक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 10(3) के अधीन" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "धारा 10 की उप-धारा (2) और (3) के अधीन" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "मृत्यु के कारण की बाबत" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "बीमारी के इतिवृत्त, यदि कोई हों, को सिम्मिलित करते हुए मृत्यु के कारण की बाबत" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (ग) विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 10 की उपधारा (3) के अधीन" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "धारा 10 की उपधारा (2) और (3) के अधीन" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (घ) विद्यमान अभिव्यक्ति "प्ररूप संख्या 4 और 4क" के स्थान पर अभिव्यक्ति "क्रमश: प्ररूप सं. 4 और 4क" प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. नियम 8 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 8 में,-

- (क) शीर्षक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 12 के अधीन रिजस्ट्रीकरण की प्रविष्टियों के उद्धरणों का दिया जाना" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "धारा 12 के अधीन जन्म या मृत्यु के रिजस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र दिया जाना" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (ख) उप-नियम (1) में,-

- (i) विद्यमान अभिव्यक्ति "में से धारा 12 के अधीन दिये जाने वाले विशिष्टियों के उद्धरण" के स्थान पर अभिव्यक्ति "में से उद्धृत धारा 12 के अधीन दिये जाने वाले जन्म या मृत्यू के प्रमाणपत्र" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "इत्तला देने वाले व्यक्ति को" के स्थान पर अभिव्यक्ति "इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा इत्तिला देने वाले व्यक्ति को" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (ग) विद्यमान उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा,अर्थात्:-
 - "(2) धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (क), (कक), (कख) और (कग) में निर्दिष्ट घर में होने वाली, जन्म, और यथास्थिति, मृत्यु की घटनाओं के मामले में, जो जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार को सीधे रिपोर्ट की जाती हैं, घर, या यथास्थिति, कुटुंब का मृखिया या उसकी अनुपस्थिति में, घर में उपस्थित मृखिया का निकटतम नातेदार या उसकी अनुपस्थिति में, घर में उपस्थित सबसे बड़ा वयस्क व्यक्ति, दत्तक ग्रहण करने वाले माता-पिता, माता-पिता और यथास्थिति, जैविक माता-पिता इसकी रिपोर्ट के तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार से जन्म या मृत्यु का प्रमाणपत्र इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा अभिप्राप्त कर सकेगा।";

(घ) उप-नियम (3) में,-

- (i) विद्यमान अभिव्यक्ति "प्राप्त उद्धरण" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "प्राप्त प्रमाणपत्र, इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "घर में उपस्थित मुखिया के किसी नजदीकी रिश्तेदार को," के स्थान पर अभिव्यक्ति "घर में उपस्थित मुखिया के किसी निकटतम नातेदार या, उसकी अनुपस्थिति में घर में उपस्थित सबसे बड़े वयस्क व्यक्ति को" प्रतिस्थापित की जायेगी;"

(ङ) **उप-नियम** (4) में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "खंड (ख से ड.) में उल्लेखित जन्मों और मृत्युओं" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "खंड (घक), (घख) तथा (घग) को सम्मिलित करते हुए खंड (ख) से (ड.) में निर्दिष्ट, जन्म और यथास्थिति, मृत्यु" प्रतिस्थापित की जायेगी;

- (ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "उद्धरण प्राप्त" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "प्रमाणपत्र, इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा अभिप्राप्त" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (च) उप-नियम 5 में विद्यमान अभिव्यक्ति "उद्धरण" जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर, अभिव्यक्ति "प्रमाणपत्र" प्रतिस्थापित की जायेगी।
- 5. नियम 9 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 9 में,-
 - (क) उप-नियम (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "एक रुपया" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "बीस रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
 - (ख) विद्यमान उप-नियम (2) और (3) निम्निलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे,अर्थात्:-
 - (2) "िकसी जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण, जिसकी विलंबित इत्तिला इसके होने के तीस दिन के पश्चात् किंतु एक वर्ष के भीतर रजिस्ट्रार को दी जाती है, केवल जिला रजिस्ट्रार या खंड सांख्यिकी अधिकारी या मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की लिखित अनुज्ञा से और पचास रुपये की विलंब फीस के संदाय पर और प्ररूप सं. 14 में, इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा स्व-सत्यापित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर ही किया जायेगा।
 - (3) किसी जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण, जिसकी विलंबित इत्तिला इसके होने के एक वर्ष के पश्चात् रजिस्ट्रार को दी जाती है, केवल उस क्षेत्र जहां जन्म या मृत्यु हुई है, पर क्षेत्राधिकार रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट या उप-खंड मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा किये गये आदेश और एक सौ रुपये की विलंब फीस के संदाय पर ही किया जायेगा"।
- 6. नियम 12 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 12 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "प्ररूप सं. 1" के स्थान पर अभिव्यक्ति "प्ररूप सं. 1, 1क" प्रतिस्थापित की जायेगी।
 - 7. नियम 13 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 13 में,-
 - (क) उप-नियम (1) में,-
 - (i) विद्यमान अभिव्यक्ति "उद्धरण" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "जन्म या मृत्यु के प्रमाणपत्र" प्रतिस्थापित की जायेगी;
 - (ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 17 के अधीन की जाने वाली तलाशी, जारी किये जाने वाले" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "धारा 17 के अधीन की जाने वाली

तलाशी, इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा जारी किये जाने वाले" प्रतिस्थापित की जायेगी;

- (iii) विद्यमान अभिव्यक्ति "2.00 रुपये" जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "20.00 रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (iv) खंड (ग) में,-
 - (i) विद्यमान अभिव्यक्ति "उद्धरण" के स्थान पर अभिव्यक्ति "प्रमाणपत्र" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
 - (ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "5.00 रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "50.00 रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (ख) उप-नियम (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "किसी जन्म या मृत्यु के संबंध में कोई उद्धरण" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "किसी जन्म या मृत्यु से संबंधित रजिस्टर से उद्धरण के आधार पर प्रमाणपत्र धारा 17 के अधीन" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (ग) उप-नियम (4) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "उद्धरण" के स्थान पर अभिव्यक्ति "प्रमाणपत्र" प्रतिस्थापित की जाएगी।
- 8. नियम 16 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 16 के विद्यमान उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- "(2) ऐसे किसी अपराध का प्रशमन, धारा 23 की उप-धारा (1), (2) और (4) के अधीन अपराधों के लिए दो सौ पचास रुपये से अनिधिक, उप-धारा (3) के अधीन अपराधों के लिए पचास रुपये, और उप-धारा (1क) और (4क) के अधीन अपराधों के लिए प्रत्येक जन्म या मृत्यु के संबंध में एक हजार रुपये तक की ऐसी राशि के संदाय पर जो उक्त अधिकारी उचित समझे, किया जा सकेगा।"
- 9. नये नियम 16क का अंतःस्थापन.- उक्त नियमों के नियम 16 के पश्चात् और विद्यमान नियम 17 से पूर्व, निम्नलिखित नया नियम 16क अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थातः-
 - **"16क. अपील.-** धारा 25क की उप-धारा (1) के अधीन अपील, प्ररूप सं. 15 में प्रस्तुत की जाएगी।"
 - 10. नियम 17 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 17 में,-
 - (क) उप-नियम (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "रजिस्ट्रार द्वारा धारा 13 के अन्तर्गत प्राप्त विलम्बित रजिस्ट्रीकरण की अनुमति देने से सम्बन्धित अदालती आदेश तथा

निर्दिष्ट प्राधिकारी के आदेश" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "रजिस्ट्रार द्वारा विलंबित रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राप्त धारा 13 की उप-धारा (2) के अधीन मंजूर की गयी अनुजा और धारा 13 की उप-धारा (3) के अधीन जारी किये गये आदेश" प्रतिस्थापित की जाएगी; और

- (ख) उप-नियम (3) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "उपधारा (3)" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "उप-धारा (2) और (3)" प्रतिस्थापित की जायेगी।
- 11. प्ररूप सं. 1 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप सं. 1 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"प्ररूप सं. 1 (नियम 5 देखिए) जन्म रिपोर्ट

विधिक इत्तिला
[अनुदेशों के लिए पीछे देखिए]
यह भाग जन्म रजिस्टर में जोड़ा जायेगा।

इत्तिला देने वाले द्वारा भरा जायेगा

1.	जन्म दिनांक :	दिदि - मा मा - व व व व
2.	लिंग ("पुरुष" या "स्त्री" या "उभयलिं	गी व्यक्ति" प्रविष्ट कीजिए):
3.	शिशु के ब्यौरे (यदि नाम नहीं रखा ग	या हो तो रिक्त छोड़ दें) :-
	(क) नाम, यदि कोई हो:	न नाम मध्य नाम अंतिम नाम
	(ख) आधार सं. (यदि उपलब्ध हो)	
4.	पिता के ब्यौरे :-	
	(क) नाम: प्रथम नाम मध्य नाम अं	तेम नाम
	(ख) आधार सं. (यदि उपलब्ध हो)	
	(ग) मोबाइल नं. :	
	(घ) ई-मेल आईडी :	

5. माता के ब्यौरे :-

	(क) नाम : प्रथम नाम	मध्य नाम अंतिम नाम		
	(ख) आधार सं. (यदि उपल	गब्ध हो)		
	(ग) जन आधार कुटुंब पह (यदि उपलब्ध हो)	चान सं. :		
	(घ) मोबाइल नं.:			
	(ङ) ई-मेल आईडी:			
6.	बच्चे के जन्म के समय म	ाता-पिता का पता:	घर सं. :	
	परिक्षेत्र: वार्ड सं. (शहर	र के मामले में और यटि	; उपलब्ध हो):	
	शहर या ग्राम: उ	प-जिला/तहसीलः	जिला:	
	राज्य या संघ राज्यक्षेत्र:	पिन	न कोड:	
7.	माता-पिता का स्थायी पता:	: घ	र सं. :	
	परिक्षेत्र:	वार्ड सं. (शहर के माम	ाले में और यदि उपलब्ध हो):	
	परिक्षेत्र: शहर या ग्राम:	वार्ड सं. (शहर के माम उप-जिला/तहसीलः	ाले में और यदि उपलब्ध हो): जिला:	
		उप-जिला/तहसीलः	-	
8.	शहर या ग्राम: राज्य या संघ राज्यक्षेत्र:	उप-जिला/तहसीलः पि	जिला:	 T"
8.	शहर या ग्रामः राज्य या संघ राज्यक्षेत्रः जनम स्थान (नीचे उपयुक्त प्रवि का नाम और पता या "घर" या "अ	उप-जिला/तहसीलः पि वेष्टि 1 या 2 या 3 पर सही न्य स्थानं" का पता लिखें ज	जिला: न कोड:	П"
8.	शहर या ग्रामः राज्य या संघ राज्यक्षेत्रः जनम स्थान (नीचे उपयुक्त प्रवि	उप-जिला/तहसीलः पि वेष्टि 1 या 2 या 3 पर सही न्य स्थानं" का पता लिखें ज	जिला: न कोड:	Π"
8.	शहर या ग्रामः राज्य या संघ राज्यक्षेत्रः जनम स्थान (नीचे उपयुक्त प्रवि का नाम और पता या "घर" या "अ	उप-जिला/तहसीलः पि वेष्टि 1 या 2 या 3 पर सही न्य स्थानं" का पता लिखें ज ार 3. अन्य स्थ	जिला: न कोड: मा निशान लगायें और "अस्पताल/संस्थ हां जन्म हुआ है):	П"
8.	शहर या ग्रामः राज्य या संघ राज्यक्षेत्रः जन्म स्थान (नीचे उपयुक्त प्रवि का नाम और पता या "घर" या "अ 1. अस्पताल/संस्था 2. घ	उप-जिला/तहसीलः पि वेष्टि 1 या 2 या 3 पर सही न्य स्थानं' का पता लिखें ज ार 3. अन्य स्थ 1/2/3 का पताः	जिला: न कोड: मा निशान लगायें और "अस्पताल/संस्थ हां जन्म हुआ है):	Π"
8.	शहर या ग्रामः राज्य या संघ राज्यक्षेत्रः जनम स्थान (नीचे उपयुक्त प्रवि का नाम और पता या "घर" या "अ 1. अस्पताल/संस्था 2. घ अस्पताल/संस्था का नाम	उप-जिला/तहसीलः पि वेष्टि 1 या 2 या 3 पर सही न्य स्थानं' का पता लिखें जा र 3. अन्य स्थ 1/2/3 का पताः वार्ड सं. (शहर के म	जिला: न कोड: जा निशान लगायें और "अस्पताल/संस्थ हां जन्म हुआ है): गान घर सं. : गामले में और यदि उपलब्ध हो):	Π"

9. 5	इत्तिला देने वाले के ब्यौरे:			
((क) नाम: प्रथम नाम	मध्य नाम अंतिम नाम		
(ख) आधार सं. (यदि उपलब्	ध हो)		
((ग) मोबाइल नं.:			
((घ) ई-मेल आईडी :			
((ङ) पता:	घर	सं.:	
	परिक्षेत्र:	वार्ड सं. (शहर व	के मामले में औ	र यदि उपलब्ध हो)
	शहर या ग्राम:	उप-जिला/तहसीलः		जिला:
	राज्य या संघ राज्यक्षेत्र:		पिन कोड:	
सांख्यिकीय इति	तला			
10.	माता के निवास का शहर	या ग्राम (स्थान जहाँ	i माता प्राय: रहर्त	ो है। यह उस स्थान से
	भिन्न हो सकता है जहां प्रसव			
	निशान लगायें और इसका नाम	.	· ·	
	शहर या ग्राम:	उप-जिला/तहर	नीलः -	जिला:
	राज्य या संघ राज्यक्षेत्र:		पिन कोड:	
11.	धर्म के लिए ["हिन्दू" या '	'मुस्लिम" या "ईसाई"	या "सिख" या "	बौद्ध'' या ''जैन'' ''अन्य
	(कृपया विनिर्दिष्ट करें) समुचित	त धर्म प्रविष्ट करें"]		
	(क) पिता का धर्म:			
	(ख) माता का धर्म:			
12.	पिता का शैक्षिक स्तरः			
13.	माता का शैक्षिक स्तरः			
14.	पिता का व्यवसाय:			
15.	माता का व्यवसाय:			
16.	विवाह के समय माता की	आयु (पूर्ण वर्षों में)) : (यदि एक से 3	मधिक बार विवाह किया
	है तो प्रथम विवाह के समय वी	जे आयु लिखी जाएगी) :		
17.	इस जन्म के समय मात	ा की आयु (पूर्ण वर	र्षों में):	

- 18. इस शिशु को सम्मिलित करते हुए माता के अब तक जीवित जन्में शिशुओं की संख्या: (जीवित जन्में शिशुओं की संख्या में वे भी सम्मिलित हैं जो पूर्ववर्ती विवाह (विवाहों) से हैं, यदि कोई हो)
- 19. प्रसव पर परिचर्या का प्रकार: (नीचे दी गयी प्रविष्टियों में से समुचित पर सही का निशान लगायें)
 - 1. संस्थागत-सरकारी
 - 2. संस्थागत-प्राइवेट या गैर-सरकारी
 - 3. डॉक्टर, नर्स या प्रशिक्षित दाई
 - 4. परम्परागत जन्म परिचर
 - 5. नातेदार या अन्य
- 20. प्रसव रीति (निम्न प्रविष्टियों में से सम्चित पर सही का निशान लगाये)
 - (1) प्राकृतिक
- (2) सिजेरियन
- (3) फोरसेप/वैक्यूम
- 21. जन्म वजन (कि.ग्रा. में) (यदि उपलब्ध हो):
- 22. गर्भावस्था की अवधि (सप्ताहों में):

(बहुजन्मों के मामले में, प्रत्येक शिशु के लिए पृथक् प्ररूप भरा जायेगा और नीचे छोड़े गये टिप्पण कॉलम में जुड़वां जन्म या, यथास्थिति, तिहरा जन्म इत्यादि भरा जाये।)

घोषणा: मैंने अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही जानकारी दी है। मुझे गलत जानकारी देने के लिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (2023 में संशोधित) की धारा 23 के अधीन शास्तियों की जानकारी है। मैं आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पहचान अधिप्रमाणित करने के लिए आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 के अधीन सहमति भी देता हूं।

(1 से 22 तक समस्त कॉलम पूर्ण करने के पश्चात्, इत्तिला देने वाला हस्ताक्षर करेगा और तारीख लिखेगा)

दिनांक:	दि	दि	-	मा	मा	-	व	व	व	व
---------	----	----	---	----	----	---	---	---	---	---

इत्तिला देने वाले का हस्ताक्षर या बाएं हाथ की अंगूठा निशानी

रजिस्ट्रार द्वारा भरा जायेगा

रजिस्ट्रीकरण सं.: रजिस्ट्रीकरण दिनांक:

दिदि - मा मा - व व व

रजिस्ट्रीकरण इकाई:

	नाम	कोड सं.
ਗਿ ਕਾ		
उप-जिला/तहसील		
शहर/ग्राम		

जन्म दिनांक

दिदि - मा मा - व व व व

लिंग:- पुरुष/स्त्री/उभयलिंगी व्यक्ति

जन्म स्थानः 1. अस्पताल/संस्था

2. घर

3. अन्य स्थान

टिप्पण (यदि कोई हो):

रजिस्ट्रार का नाम और हस्ताक्षर"

प्ररूप 1 पूर्ण करने के लिए अनुदेश: जन्म रिपोर्ट

मद सं.	अनुदेश
1	दिनांक, जहां कहीं भी आयी है, दिदि-मामा-वववव रूपविधान में उपबंधित की जायेगी, जहां
	दिदि दो अंकों में दिनांक, मामा दो अंकों में मास और वववव चार अंकों में वर्ष लिखा
	जायेगा। जहां कहीं भी दिनांक शब्दों में लिखी जाती है, वहां पूर्णरूप में यथा 01-01-
	2023 को एक जनवरी दो हजार तेईस लिखी जायेगी। दिनांक एवं अन्य गणितीय प्रविष्टियां
	भरने हेतु अरेबिक/न्यूमरल्स यथा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का उपयोग किया
	जायेगा।
2	"पुरूष" या "स्त्री" या "उभयलिंगी व्यक्ति" प्रविष्ट करें। संक्षेपाक्षर उपयोग नहीं करें।
3,4,5,9	नाम, जहां कहीं भी आता है, [प्रथम नाम], [मध्य नाम] एवं [अंतिम नाम] के रूपविधान में
	उपबंधित किया जायेगा, जहां पूर्ण नाम (संक्षिप्त नहीं) बड़े अक्षरों में लिखा जायेगा और प्रथम
	नाम अनिवार्य है। [प्रथम नाम] या [मध्य नाम] या [अंतिम नाम] में से कम से कम दो अक्षर
	होने चाहिएं। यदि शिशु का नाम नहीं रखा गया है, तो रिक्त छोड़ दें।
	जन्म का रजिस्ट्रीकरण शिशु के नाम के बिना किया जा सकता है। तथापि, शिशु का नाम
	रजिस्ट्रीकरण के 12 मास के भीतर, बिना प्रभार के, अंत:स्थापित किया जा सकता है।
	(राज्य नियमों के नियम 10 का संदर्भ लें)
6,7,8,9	पता जहां कहीं भी आता है, में राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश का नाम, जिला, उप-
	जिला/तहसील, शहर या ग्राम, वार्ड संख्यांक (शहर के मामले में और यदि उपलब्ध हो),
	परिक्षेत्र, मकान संख्यांक और पिन कोड अंतर्विष्ट होगा।
8	जन्म स्थान के लिए समुचित प्रविष्टि पर सही का निशान लगावें
	1. अस्पताल/संस्था
	2. घर
	3. अन्य स्थान
	"अस्पताल/संस्था" का नाम और पता या "घर" या "अन्य स्थान" का पता जहां शिशु
	का जन्म हुआ है, लिखें।

10	माता के निवास का शहर या ग्राम: स्थान जहां प्राय: माता रहती है। यह प्रसव के										
	स्थान से भिन्न हो सकता है। घर का पता प्रविष्ट करना अपेक्षित नहीं है।										
12,13	शिक्षा का स्तर -	निम्नलिखित में	से कोई एक लिखें-								
	1. पूर्व प्राथमिक	6. कक्षा 5	11. कक्षा 10	16. स्नातक/पूर्व स्नातक	21. शिक्षित बिना औपचारिक शिक्षा						
	2. कक्षा 1	7. कक्षा 6	12. कक्षा 11	17.स्नातकोत्तर डिप्लोम	22. अशिक्षित						
	3. कक्षा 2	8. कक्षा 7	13. कक्षा 12	18. मास्टर/स्नातकोत्तर							
	4. कक्षा 3	9. कक्षा 8	14. आई.टी.आई.	19. एम.फਿल.							
	5. कक्षा 4	10.कक्षा 9	15. डिप्लोमा/प्रमाणपत्र	20. डॉक्टरेट या अधिक							
	(शिक्षा का पूर्ण ह्	आ स्तर प्रविष्ट व	करें उदाहरणार्थ यदि	कक्षा 7 तक अध्य	ायन किया है किंतु						
	केवल कक्षा 6 उत	न्तीर्ण की है, तो व	ਸक्षा 6 लिखें)								
14,15	व्यवसाय - निम्न	लिखित में से कोई	ई एक लिखें।								
	1. कृषक										
	2. कृषि म	जदूर									
	3. दैनिक व	मजदूरी उपार्जित व	फरने वाला (कृषि म	जदूर के अलावा)							
	4. एकल/प	रिवारिक कर्मकार/	'स्वनियोजित								
	5. नियोक्त	Т									
	6. सरकारी कर्मचारी										
	7. निजी कर्मचारी (घरेलू सहायक के अतिरिक्त)										
	8. घरेलू स	हायक									
	9. गै र-कर्म										

टिप्पण :- इत्तिला देने वाला यह सुनिश्चित करेगा कि जन्म रिपोर्ट प्ररूप में कोई भी मद यथासंभव, रिक्त नहीं छोड़ी जाये।

12. नए प्ररूप सं. 1क का अंतःस्थापन.- इस प्रकार प्रतिस्थापित प्ररूप सं. 1 के पश्चात् और उक्त नियमों के संलग्न विद्यमान प्ररूप सं. 2 से पूर्व, निम्नलिखित नया प्ररूप सं. 1क अंतःस्थापित किया जायेगा; अर्थातः-

"प्ररूप सं. 1-क
(विधिक इत्तिला)
(नियम 5 देखिए)
दत्तक संतान के लिए जन्म रिपोर्ट
[अनुदेशों के लिए पीछे देखिए]
यह भाग जन्म रजिस्टर में जोड़ा जायेगा

इत्तिला देने वाले द्वारा भरा जायेगा
1. *जन्म दिनांक: दि दि - मा मा - व व व व
2. *लिंग ("पुरुष" या "स्त्री" या "उभयलिंगी व्यक्ति" प्रविष्ट करें) :
3. संतान के ब्यौरे (यदि दत्तक ग्रहण पर नाम परिवर्तित गया हो तो नया नाम लिखे):-
(क) संतान का नाम: प्रथम नाम मध्य नाम अंतिम नाम
(ख) आधार सं. (यदि उपलब्ध हो)
4. *माता के ब्यौरे (यदि ज्ञात हों):-
(क) नाम: प्रथम नाम मध्य नाम अंतिम नाम
(ख) आधार सं. (यदि उपलब्ध हो):
(ग) जन आधार कुटुंब पहचान सं.:
(यदि उपलब्ध हो)
(घ) मोबाइल नं. :
(ङ) ई-मेल आईडी:
5. *पिता के ब्यौरे (यदि ज्ञात हों):-
(क) नाम: प्रथम नाम मध्य नाम अंतिम नाम
(ख)आधार सं. (यदि उपलब्ध हो):
(ग) जन आधार कुटुंब पहचान सं.
(यदि उपलब्ध हो):
(घ) मोबाइल नं. :
(ङ) ई-मेल आईडी:
6. दत्तक-ग्रहण विलेख/आदेश के ब्यौरे:
(क) दिनांक: <u>दि दि - मा मा - व व व </u>

परिक्षेत्र:

शहर या ग्राम:

	(ख	।) दत्तक-ग्रहण विलेख/आदेश का संख्यांक:
7.	दत्त	क ग्रहण करने वाली माता के ब्यौरे:-
	(ক)	जाम : प्रथम नाम मध्य नाम अंतिम नाम
	(ख)	आधार सं. (यदि उपलब्ध हो)
	(ग)	जन आधार कुटुंब पहचान सं.
		(यदि उपलब्ध हो) :
	(ঘ)	मोबाइल नं. :
	(량)	ई-मेल आईडी:
8.	दत्त	क ग्रहण करने वाले पिता के ब्यौरे:
	(क)	ज्ञाम प्रथम नाम मध्य नाम अंतिम नाम
	(ख)	आधार सं. (यदि उपलब्ध हो)
	(ग)	जन आधार कुटुंब पहचान सं.:
		(यदि उपलब्ध हो)
	(ঘ)	मोबाइल नं. :
	(ङ)	ई-मेल आईडी :
9.	दत्त	क ग्रहण विलेख/आदेश में यथा अभिलिखित दत्तक ग्रहण करने वाले माता-पिता
	काष	नताः घर सं. :
	परिक्षे	ोत्र: वार्ड सं. (शहर के मामले में और यदि उपलब्ध हो)
	शहर	या ग्राम: उप-जिला/तहसीलः जिला:
	राज्य	ा या संघ राज्यक्षेत्रः पिन कोडः 🗆 🗆 🗆 🗆
10	. दत्त	तक ग्रहण करने वाले माता-पिता का स्थायी पता: घर सं. :

वार्ड सं. (शहर के मामले में और यदि उपलब्ध हो)

जिला:

उप-जिला/तहसीलः

राज्य या संघ राज्यक्षेत्र:		पिन कोड:	
11. *जन्म स्थान: (नीचे उपयुक्त प्	प्रविष्टि 1 या 2 या 3 पर स	ाही का निशान लगार	ो और "संस्था" का नाम
और पता या "घर" या "अन्य स्थान"	का पता जहां जन्म हुआ है	लिखिए):	
1. अस्पताल/संस्था	2. घर 3. अ	न्य स्थान	
अस्पताल/संस्था का नाम:	1/2/3 का पत	ता:	घर सं. :
परिक्षेत्र:	वार्ड सं. (शहर के	मामले में और	यदि उपलब्ध हो)
शहर या ग्राम:	उप-जिला/तहसीलः	जिला:	
राज्य या संघ राज्यक्षेत्र:		पिन कोड:	
12. दत्तक-ग्रहण यदि अभिकरण	ा के माध्यम से हुआ	है तो दत्तक ग्र	हण अभिकरण का
पता लिखिए:	घर सं. :		
परिक्षेत्र:	वार्ड सं. (शहर के मार	मले में और यदि	उपलब्ध हो)
शहर या ग्राम: उप	जिला/तहसीलः	जिला	:
राज्य या संघ राज्यक्षेत्र:		पिन कोड:	
13. इत्तिला देने वाले के ब्यौरे:			
(क) नाम प्रथम नाम मध्य	नाम अंतिम नाम		
(ख) आधार सं. (यदि उपलब्ध	प्र हो)		
(ग) मोबाइल नं.:			
(घ) ई-मेल आईडी :			
(ङ) पता :	घर सं. :		
परिक्षेत्र:	वार्ड सं. (शहर वे	रु मामले में और	यदि उपलब्ध हो)
शहर या ग्राम:	उप-जिला/तहसीलः	जिल	त्रा:
राज्य या संघ राज्यक्षेत्र:	पि	ान कोड:	
*जैसा मूल जन्म प्रमाणपत्र में 3	नंतर्विष्ट है।		

सांख्यिकीय इत्तिला

- 14. धर्म के लिए ["हिन्दू" या "मुस्लिम" या "ईसाई" या "सिख" या "बौद्ध" या "जैन" या "अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)" सम्चित धर्म प्रविष्ट करें]
 - (क) दत्तक ग्रहण करने वाले पिता का धर्म:
 - (ख) दत्तक ग्रहण करने वाली माता का धर्म:
- 15. दत्तक ग्रहण करने वाले पिता का शैक्षिक स्तर:
- 16. दत्तक ग्रहण करने वाली माता का शैक्षिक स्तर:
- 17. दत्तक ग्रहण करने वाले पिता का व्यवसाय:
- 18. दत्तक ग्रहण करने वाली माता का व्यवसाय:

घोषणा: मैंने अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही जानकारी दी है। मुझे गलत जानकारी देने के लिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (2023 में संशोधित) की धारा 23 के अधीन शास्तियों की जानकारी है। मैं आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पहचान अधिप्रमाणित करने के लिए आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 के अधीन सहमित भी देता हूं।

(1 से 18 तक समस्त कॉलम पूर्ण करने के पश्चात्, इत्तिला देने वाला हस्ताक्षर करेगा और तारीख लिखेगा)

~ ·										
दिनाक:	दि	दि	1	मा	मा	-	व	व	व	व

इत्तिला देने वाले का हस्ताक्षर या बाएं हाथ की अंगूठा निशानी

रजिस्ट्रार द्वारा भरा जायेगा

रजिस्ट्रीकरण स. :					
रजिस्ट्रीकरण दिनांक:	दि	दि	-	मा	मा
रजिस्ट्रीकरण इकाई:					

	नाम	कोड सं.
ਗਿ ਕਾ		
उप-जिला/तहसील		
शहर/ग्राम		

जनम दिनांक दि | दि | - | मा | मा | - | व | व | व

लिंग:- प्रष/स्त्री/उभयलिंगी व्यक्ति

जन्म स्थान: 1. अस्पताल/संस्था

2. घर

3. अन्य स्थान

टिप्पण (यदि कोई हो):

रजिस्ट्रार का नाम और हस्ताक्षर"

प्ररूप 1-क को पूर्ण करने के लिए अनुदेश: दत्तक संतान के लिए जन्म रिपोर्ट

मद सं.	अनुदेश									
1,6	दिनांक, जहां कहीं भी आयी है, दिदि-मामा-वववव रूपविधान में उपबंधित की जायेगी, जहां									
	दिदि दो अंकों में दिनांक, मामा दो अंकों में मास और वववव चार अंकों में वर्ष लिखा जायेगा।									
	जहां भी कहीं दिनांक शब्दों में लिखी जाती है, वहां पूर्णरूप में यथा 01-01-2023 को एक									
		तेईस लिखी जायेग								
	यदि जन्म दिनां	क ज्ञात नहीं है, ते	ो दत्तक आदेश,	या यथास्थिति, विलेख	में दर्शायी गयी					
		अनुसार अभिलिखि								
				बिक/न्यूमरल्स यथा 0,	1, 2, 3, 4, 5,					
		उपयोग किया जाये	· ·	~						
2	"पुरूष" या "स्त्री"	या "उभयलिंगी व्य	प्रित" प्रविष्ट क	रें। संक्षेपाक्षर उपयोग	नहीं करें।					
3,4,5,7,8,13	नाम, जहां कहीं भी	ो आता है, [प्रथम ना	म], [मध्य नाम]	एवं [अंतिम नाम] के रू	पविधान में उपबंधित					
	किया जायेगा, जह	ां पूर्ण नाम (संक्षिप्त	न नहीं) बड़े अक्षर	ों में लिखा जायेगा और	प्रथम नाम अनिवार्य					
	है। [प्रथम नाम] य	॥ [मध्य नाम] या	[अंतिम नाम] में र	प्ते कम से कम दो अक्षर	र होने चाहिएं।					
9,10,11,12,13	पता, जहां कहीं भी	आता है, में राज्य	या केन्द्र शासित	प्रदेश का नाम, जिला, उ	प-जिला/तहसील,					
			मले में और यदि	उपलब्ध हो), परिक्षेत्र,	मकान संख्यांक					
15,16	और पिन कोड अं		\(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \							
15,10		निम्नलिखित में से	1	10	01 88					
	1. पूर्व प्राथमिक	6. कक्षा 5	11. कक्षा 10	16. स्नातक/पूर्व स्नातक	21. शिक्षित बिना					
	त्राचाणच			Volicies,	औपचारिक आ <u>ष्</u> रिक					
					शिक्षा					
	2. कक्षा 1	7. कक्षा 6	12. कक्षा 11	17.स्नातकोत्तर	22.					
				डिप्लोमा	अशिक्षित					
	3. कक्षा 2	8. कक्षा 7	13. कक्षा 12	18. मास्टर/						
				स्नातकोत्तर						
	4. कक्षा 3	9. कक्षा 8	14.	19. एम.फिल.						
	F	10 707 0	आई.टी.आई.	20. डॉक्टरेट या						
	5. कक्षा 4	10.कक्षा 9	15. डिप्लोमा /प्रमाणपत्र	20. डाक्टरट या अधिक						
	। (शिक्षा का पर्ण हः	। आ स्तर प्रविष्ट करें		कक्षा 7 तक अध्ययन	। किया है किंत					
		तीर्ण की है, तो कक्ष								
17,18	व्यवसाय - निम्नी	लेखित में से कोई	एक लिखें।							
	1. कृषक									
	2. कृषि म	••								
		मजदूरी उपार्जित क	=	नजदूर के अलावा)						
		ारिवारिक कर्मकार/स -	-वानेयोजित							
	5. नियोक्त	П		5. नियोक्ता						

6.	सरकारी कर्मचारी
7.	निजी कर्मचारी (घरेलू सहायक के अतिरिक्त)
8.	घरेलू सहायक
9.	गैर-कर्मकार

टिप्पण :- इत्तिला देने वाला जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1969 (2023 में संशोधित) के अनुसार दत्तक संतान के जन्म की घटना की रिपोर्ट देने के लिए उत्तरदायी होगा।

इत्तिला देने वाला यह सुनिश्चित करेगा कि दत्तक संतान के लिए जन्म रिपोर्ट प्ररूप में कोई भी मद यथासंभव, रिक्त नहीं छोड़ी जाये।

13. प्ररूप सं. 2 से 13 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप सं. 2 से 13 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा; अर्थात्:-

> "प्ररूप सं. 2 (नियम 5 देखिए) मृत्यु रिपोर्ट विधिक इत्तिला [अन्देशों के लिए पीछे देखिए] यह भाग मृत्यु रजिस्टर में जोड़ा जायेगा

इत्तित

(क)

नाम

ग देने वाले द्वारा भरा जायेगा
1. मृत्यु की दिनांक दि दि - मा मा - व व व व
2. मृतक के ब्यौरे:-
(क) नाम प्रथम नाम मध्य नाम अंतिम नाम
(ख) आधार सं. (यदि उपलब्ध हो)
(ग) जन्म दिनांक (यदि उपलब्ध हो) दि दि - मा मा - व व व व
(घ) आयु
3. लिंग ("पुरुष" या "स्त्री" या "उभयलिंगी" व्यक्ति प्रविष्ट करें) :
4. माता के ब्यौरे:-

(ख)	आधार सं. (यदि उपलब्ध हो):	
()		

240

	(10 1 11 (1-1 (10 10(11)				
8.	मृतक का स्थायी पता:		घर सं. :		
	परिक्षेत्र:	वार्ड सं. (शहर के मामले	में और यदि	र उपलब्ध ।	हो)
	शहर या ग्राम:	उप-जिला/तहसीलः		जिला:	
	राज्य या संघ राज्यक्षेत्र :		पिन कोड:		

9. मृत्यु का स्थान (नीचे उपयुक	त प्रविष्टि 1 या 2 या 3	3 पर सही का निशान ल	गायें और "अस्पताल/संस्था"
का नाम और पता या "घर" या "3	नन्य स्थान" का पता लि	ोखें, जहां मृत्यु हुई है):	
1. अस्पताल/संस्था	2. घर	3. अन्य स्थान	
अस्पताल/संस्था का नाम	1/2/3	का पता:	घर सं. :
परिक्षेत्र:	वार्ड सं. (श	हर के मामले में औ	र यदि उपलब्ध हो)
शहर या ग्राम:	उप-जिला/तहसीलः	जिला:	
राज्य या संघ राज्यक्षेत्र:		पिन कोड:	
10.इत्तिला देने वाले का विवरण	Т:-		
(क) नाम: प्रथम नाग	न मध्य नाम अंतिम	नाम	
(ख)आधार सं. (यदि उपलब्ध	ध हो):		
(ग) जन आधार कुटुंब पर	हचान सं.		
(यदि उपलब्ध हो)			
(घ) मोबाइल नं. :			
(ङ) ई-मेल आईडी :			
(=) -	घर सं. :		
(च) पता:	_		
परिक्षेत्र:	वाड स. (शहर	के मामले में और	याद उपलब्ध हा)
शहर या ग्राम:	उप-जिला/तहसीलः	जिला:	
राज्य या संघ राज्यक्षेत्र:		पिन कोड:	
सांख्यिकीय इत्तिला			
11.मृतक के निवास स्थान का	शहर या ग्राम (र	ऱ्थान जहां मृतक प्रा	य: रहता था, यह उस
स्थान, जहां मृतक की मृत्यु ह्	ई है, से भिन्न हो	सकता है।	
उपयुक्त प्रविष्टि "शहर" और	"ग्राम" पर निशान	लगायें और इसका	नाम लिखिए)
शहर या ग्राम:	उप-जिला/तहसीलः	ਗਿ	ला:
राज्य या संघ राज्यक्षेत्र:		पिन कोड:	
12. धर्म ["हिन्दू" या "मुस्लिम" य	ा "ईसाई" या "सिख"	या "बौद्ध" या "जैन"	"अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट
करें)" समुचित धर्म प्रविष्ट करें]			
13. मृतक का व्यवसाय:			

- 14. मृत्यु से पूर्व प्राप्त की गई चिकित्सीय परिचर्या (निम्न प्रविष्टियों में से समुचित पर निशान लगायें):
 - 1. संस्थागत
 - 2. संस्था के अलावा अन्य चिकित्सीय परिचर्या
 - 3. कोई चिकित्सीय परिचर्या नहीं
- 15. क्या मृत्यु का कारण चिकित्सीय रूप से प्रमाणित था? (निम्न प्रविष्टियों में से समुचित पर सही का निशान लगायें):
 - (1) (百)

- 2. नहीं
- 16. बीमारी का नाम या मृत्यु का वास्तविक कारण (चिकित्सीय रूप में प्रमाणित या अप्रमाणित किये बिना समस्त मृत्यु के लिए):
- 17. यदि मृतक स्त्री है, तो क्या मृत्यु गर्भवती रहने के दौरान, प्रसव के समय या गर्भावस्था के पश्चात् छह सप्ताह के भीतर हुई है (निम्न प्रविष्टियों में से समुचित पर सही का निशान लगायें):
 - 1. हां

- 2. नहीं
- 18. क्या आभ्यासिक धूम्रपान का आदी था-

कितने वर्षीं से?

19. क्या आभ्यासिक रूप से किसी भी रूप में तम्बाकू चबाने का आदी था-

कितने वर्षीं से?

20. क्या आश्यासिक रूप से किसी भी रूप में सुपारी (पान मसाला सम्मिलित करते हुए) चबाने का आदी था-

कितने वर्षों से?

21. क्या एल्कोहल पीने का आदी था-

कितने वर्षी से?

घोषणा: मैंने अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही जानकारी दी है। मुझे गलत जानकारी देने के लिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (2023 में संशोधित) की धारा 23 के अधीन शास्तियों की जानकारी है। मैं आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पहचान अधिप्रमाणित करने के लिए आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 के अधीन सहमित भी देता हूं।

मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी में, मृतक के आधार का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। (1 से 21 तक समस्त कॉलम पूर्ण करने के पश्चात्, इत्तिला देने वाला हस्ताक्षर करेगा और तारीख लिखेगा)

दिनांक:	दि	दि	-	मा	मा	-	व	व	व	व

मृत्य् का कारण (प्ररूप 4/4क के अन्सार)

इत्तिला देने वाले के हस्ताक्षर या बाएं हाथ की अंगूठा निशानी

रजिस्ट्रार दवारा भरा जायेगा

रजिस्ट्रीकरण सं. :								
रजिस्ट्रीकरण दिनांक:		दि दि - मा	मा	-	व	व	व	व
रजिस्ट्रीकरण इकाई:					1			
	नाम	कोड सं.						
ਗਿ ला								
उप-जिला/तहसील								
शहर/ग्राम								
मृत्यु दिनांक :		दि दि - मा	मा	-	व	व	व	व
लिंग :- पुरुष/स्त्री/उभयलिं	गी व्यक्ति							
मृतक की आयु:								
मृत्यु स्थान: 1. अस्पताल	2. घर	3.	अन्य	ग स्थ	थान			
टिप्पण (यदि कोई हो):								

रजिस्ट्रार का नाम और हस्ताक्षर

प्ररूप 2 पूर्ण करने के लिए अनुदेश: मृत्यु रिपोर्ट

मद सं.	अनुदेश
1	दिनांक, जहां कहीं भी आयी है, दिदि-मामा-वववव रूपविधान में उपबंधित की जायेगी,
	जहां दिदि दो अंकों में दिनांक, मामा दो अंकों में मास और वववव चार अंकों में वर्ष
	लिखा जायेगा। जहां भी कहीं दिनांक शब्दों में लिखी जाती है, वहां पूर्णरूप में यथा
	01-01-2023 को एक जनवरी दो हजार तेईस लिखी जायेगी। दिनांक एवं अन्य
	गणितीय प्रविष्टियां भरने हेत् अरेबिक/न्यूमरल्स यथा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
	9, का उपयोग किया जायेगा।

F	
2, 4, 5, 6, 10	नाम, जहां कहीं भी आता है, [प्रथम नाम], [मध्य नाम] एवं [अंतिम नाम] के रूपविधान में
	उपबंधित किया जायेगा, जहां पूर्ण नाम (संक्षिप्त नहीं) बड़े अक्षरों में लिखा जायेगा और
	प्रथम नाम अनिवार्य है। [प्रथम नाम] या [मध्य नाम] या [अंतिम नाम] में से कम से कम
	दो अक्षर होने चाहिएं।
3	"पुरूष" या "स्त्री" या "उभयलिंगी व्यक्ति" प्रविष्ट करें। संक्षेपाक्षर उपयोग नहीं करें।
2 (ঘ)	यदि मृतक की आयु 1 वर्ष से अधिक है, तो आयु पूर्ण वर्षों में दीजिए। यदि मृतक
	की आयु 1 वर्ष से कम हो तो आयु मास में दीजिए और यदि आयु 1 मास से कम
	हो तो पूर्ण दिनों में और यदि एक दिन से कम हो तो घंटों में दीजिए।
7,8, 9, 10	पता, जहां कहीं भी आता है, में राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश का नाम, जिला, उप-
	जिला/तहसील, शहर या ग्राम, वार्ड सं. (शहर के मामले में और यदि उपलब्ध हो),
	परिक्षेत्र, मकान संख्यांक और पिन कोड अंतर्विष्ट होगा।
9	मृत्यु के स्थान लिए समुचित प्रविष्टि पर सही का निशान लगावें
	1. अस्पताल/संस्था
	2. घर
	3. अन्य स्थान
	"अस्पताल/संस्था" का नाम और पता या "घर" या "अन्य स्थान" का पता जहां
	मृत्यु हुई है, लिखें।
11	मृतक के निवास स्थान का शहर या ग्रामः जहां मृतक प्रायः रहता था। यह उस
	स्थान से भिन्न हो सकता है जहां मृत्यु हुई। घर का पता भरना अपेक्षित नहीं है।
13	व्यवसाय - निम्नलिखित में से कोई एक लिखें।
	1. कृषक
	2. कृषि मजदूर
	3. दैनिक मजदूरी उपार्जित करने वाला (कृषि मजदूर के अलावा)
	4. एकल/पारिवारिक कर्मकार/स्वनियोजित
	5. नियोक्ता
	6. सरकारी कर्मचारी
	7. निजी कर्मचारी (घरेलू सहायक के अतिरिक्त)
	8. घरेलू सहायक
	9. गैर-कर्मकार

टिप्पण :- इत्तिला देने वाले यह सुनिश्चित करेगा कि मृत्यु रिपोर्ट प्ररूप में कोई भी मद यथासंभव, रिक्त नहीं छोड़ी जाये।

प्ररूप सं. 3 (नियम 5 देखिए)

मृत जन्म रिपोर्ट

विधिक इत्तिला

[अनुदेशों के लिए पीछे देखिए]

\sim	\rightarrow				
इत्तिला	दन	वाल	दवारा	भरा	जायगा

	यह भ	ाग मृत जन्म रजिर	-टर में जोड़ा जायेगा	
त्तला दे	ने वाले द्वारा भरा जाये	गा		
1.	जन्म दिनांक:	दि दि -	मा मा - व व व व	
2.	लिंग ("पुरुष" या "स्त्री"	या "उभयतिंगी" व्यवि	न्ति प्रविष्ट करें) :	
3.	पिता के ब्यौरे:-			
	(क) नाम:	थम नाम मध्य नाम अंति	नेम नाम	
	(ख) आधार सं. (यदि	उपलब्ध हो)		
	(ग) मोबाइल नं.:			
	(घ) ई-मेल आईडी :			
4.	माता के ब्यौरे :-			
	(क) नाम : प्रथम नाम	मध्य नाम अंतिम नाम		
	(ख)आधार सं. (यदि उप	ालब्ध हो) [
	(ग) जन आधार कुटुंब	पहचान सं.:		
	(यदि उपलब्ध हो)			
	(घ) मोबाइल नं. :			
	(ङ) ई-मेल आईडी :			
5.	जन्म स्थान (निम्नलिखित	न उपयुक्त प्रविष्टि 1 या 2	या 3 पर सही का निशान लगार	यें और "अस्पताल/संस्था"
	का नाम, पता या "घर" या "3	-		
	1. अस्पताल/संस्था	2 ਜ਼ਹ	3. अन्य स्था	ਜ
	अस्पताल/संस्था का नाम		का पता:	
	परिक्षेत्र: वा			
	शहर या ग्राम:	उप-जिला/तहसीलः	जिला:	7
		•		

राजस्थान	राज-पत्र.	फरवरी	07.	2025
(101) -11-1	(101 171,	11 1 7 7 1	\mathbf{v}	2020

	राज्य या संघ राज्यक्षेत्र:	पिन कोड:	
6.	इत्तिला देने वाले के ब्यौरे:		
	(क) नाम : प्रथम नाम मध्य नाम	अंतिम नाम	
	(ख) आधार सं. (यदि उपलब्ध हो)		
	(ग) मोबाइल नं.:		
	(घ) ई-मेल आईडी :		
	(ङ) पता:	वर सं. :	
	परिक्षेत्र:	वार्ड सं. (शहर के मामले में अं	रि यदि उपलब्ध हो)
	शहर या ग्राम: उप-जिला/तह	उसीलः जिला:	
	राज्य या संघ राज्यक्षेत्र:	पिन कोड:	
सांख्यि	कीय इत्तिला		
7.	माता के निवास स्थान का शहर र	या ग्राम (स्थान जहां माता प्र	गय: रहती है, यह उस
	स्थान, जहां शिशु का जन्म हुआ है, से	भिन्न हो सकता है। "शहर" य	ा "ग्राम" में से उपयुक्त
	प्रविष्टि पर सही का निशान लगायें औ	र उसका नाम लिखिए)	
	शहर या ग्राम: उप-जि	ना/तहसीलः वि	जेला:
	राज्य या संघ राज्यक्षेत्र:	पिन कोड:	

- 8. इस जन्म के समय माता की आयु (पूर्ण वर्षों में):
- 9. माता का शैक्षिक स्तर:
- 10.प्रसव पर परिचर्या का प्रकार: (नीचे दी गई प्रविष्टियों में से समुचित पर सही का निशान लगायें)

- 1. संस्थागत-सरकारी
- 2. संस्थागत-प्राइवेट या गैर-सरकारी
- 3. डाक्टर, नर्स या प्रशिक्षित दाई
- 4. परम्परागत जन्म परिचर
- 5. नातेदार या अन्य
- 11. गर्भावस्था की कालावधि (सप्ताह में):
- 12. भ्रूण मृत्यु का कारण (यदि ज्ञात हो):

(एक से अधिक जन्म के मामले में प्रत्येक संतान के लिए पृथक् प्ररूप भरा जाये और नीचे बाएं टिप्पण कॉलम में "जुड़वां जन्म" या, यथास्थिति, "तिहरा जन्म" आदि लिखिए)

घोषणा: मैंने अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही जानकारी दी है। मुझे गलत जानकारी देने के लिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (2023 में संशोधित) की धारा 23 के अधीन शास्तियों की जानकारी है। मैं आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पहचान अधिप्रमाणित करने के लिए आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 के अधीन सहमति भी देता हूं।

(1 से 12 तक समस्त कॉलम पूर्ण करने के पश्चात्, इत्तिला देने वाला हस्ताक्षर करेगा और तारीख लिखेगा)

दिनांक: दि दि - मा मा - व व व व	नांक:	- मा मा	- a a	व व
---------------------------------	-------	---------	-------	-----

इत्तिला देने वाले के हस्ताक्षर या बाएं हाथ की अंगूठा निशानी

रजिस्ट्रार द्वारा भरा जायेगा

रजिस्ट्रीकरण सं. :													
रजिस्ट्रीकरण दिनांक:				दि	दि	-	मा	मा	-	व	व	व	व
रजिस्ट्रीकरण इकाई:				<u> </u>	1								
	नाम		कोड	सं.									
ਗਿਕਾ													
उप-जिला/तहसील													
शहर/ग्राम													
जन्म दिनांक				दि	दि	-	मा	मा	-	व	व	व	व
लिंग:- पुरुष/स्त्री/उभयलिंगी व	यक्ति												
जन्म स्थानः 1. अस्पताल/सं	स्था	2. घर			3. 3	ान्य	स्थान	Ŧ					
टिप्पण (यदि कोई हो):													

रजिस्ट्रार का नाम और हस्ताक्षर

प्ररूप 3 भरने के लिए अनुदेश: मृत जन्म रिपोर्ट

मद सं.	अनुदेश
1	दिनांक, जहां कहीं भी आयी है, दिदि-मामा-वववव रूपविधान में उपबंधित की जायेगी, जहां
	दिदि दो अंकों में दिनांक, मामा दो अंकों में मास और वववव चार अंकों में वर्ष लिखा जायेगा।
	जहां भी कहीं दिनांक शब्दों में लिखी जाती है, वहां पूर्णरूप में यथा 01-01-2023 को एक
	जनवरी दो हजार तेईस लिखी जायेगी। दिनांक एवं अन्य गणितीय प्रविष्टियां भरने हेतु
	अरेबिक/न्यूमरल्स यथा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का उपयोग किया जायेगा।
2	"पुरूष" या "स्त्री" या "उभयलिंगी व्यक्ति" प्रविष्ट करें। संक्षेपाक्षर उपयोग नहीं करें।
3, 4, 6	नाम, जहां कहीं भी आता है, [प्रथम नाम], [मध्य नाम] एवं [अंतिम नाम] के रूपविधान में
	उपबंधित किया जायेगा, जहां पूर्ण नाम (संक्षिप्त नहीं) बड़े अक्षरों में लिखा जायेगा और प्रथम
	नाम अनिवार्य है। [प्रथम नाम] या [मध्य नाम] या [अंतिम नाम] में से कम से कम दो अक्षर

	होने चाहिएं।										
5, 6	पता, जहां कर्ह	ों भी आता है, व	में राज्य	य या केन्द्र शासित	प्रदेश क	ा नाम, जिल	ा, उप-जिला/तहसी				
	शहर या ग्राम	, वार्ड सं. (शह	र के व	मामले में और यदि	, उपलब	ध हो), परि	क्षेत्र, मकान संख्य				
	और पिन कोड	इ अंतर्विष्ट होग	TI								
5	जन्म स्थान व	के लिए समुचित	न प्रवि	ष्टि पर सही का नि	शान ल	गावें।					
	1. अस्प	गताल/संस्था									
	2. घर										
	3. अन्य	ग स्थान									
	 "अस्पताल/संर	Fथा" का नाम	और प	नता या "घर" या "	'अन्य र	ऱ्थान" का प	नता जहां जन्म ह				
	"अस्पताल/संस्था" का नाम और पता या "घर" या "अन्य स्थान" का पता जहां जन्म हुआ है, लिखें।										
7	माता के निव	ास का शहर य	ग ग्राम	नः जहां माता प्राय	ः रहती	है। यह स्थ	ग्रन प्रसव के स्था				
	से भिन्न हो	सकता है। घर	का प	ाता भरना अपेक्षित	नहीं है	<u></u>					
9	शिक्षा का स्त	र - निम्नतिखि	त में								
	1. पूर्व प्राथमिक	6. कक्षा 5		11. कक्षा 10	16. स्नातक/पूर्व		21. शिक्षित बिना				
	2. कक्षा 1	7. कक्षा 6		12. कक्षा 11	स्नातक 17 स्नाट	नकोत्तर डिप्लोम	औपचारिक शिक्षा 22 भगिशित				
						विगर्सार ।उन्सान	ZZ. SHRHQI(I				
	3. कक्षा 2	8. कक्षा 7		13. कक्षा 12	18. मास्टर/स	न्गातकोत्तर					
	4. कक्षा 3	9. कक्षा 8		14. आई.टी.आई.	19. एम	.फिल.					
	5. कक्षा 4	10.कक्षा 9		15. डिप्लोमा/प्रमाणपत्र	20. डॉक	न्टरेट या अधिक					
	(शिक्षा का पूण	 र्ग हुआ स्तर प्रा	विष्ट व	। करें उदाहरणार्थ यदि	, कक्षा	7 तक अध्य	्राध्ययन किया है किंतु				
	केवल कक्षा 6	उत्तीर्ण की है,	, तो व	ਸक्षा 6 लिखें)							
12.	गर्भस्थ शिशु	मृत्यु का कारण	। - नि	म्नलिखित में से क	नेई एक	लिखें -					
	1. खून बहना (र	क्तस्त्राव)	7. म	ाता में मधुमेह		पार्वोवायरस B19					
	2. प्लेसेंटल के र	माथ समस्या	8. ਸ	ाता में कॉक्ससेकी वायर	रस	सक्रमण 14. माता में	क्य बखार संक्रमण				
			संक्रम		14. माता में क्यू बुखार संक्रमण						
	3. गर्भनाल के स	नाथ समस्या		ाता में हर्पीज सिम्प्लेक्र 	15. माता में रूबेला (जर्मन खसरा)						
	4. प्री एक्लेम्पस्	ोया नेया	संक्रम 10. व	ण माता में लेप्टोस्पायरोसि		संक्रमण 16. माता में	फ्लू संक्रमण				
	11 211 (11)1 11(· ··	संक्रम			1311(11 01					
	5. शिशु में आनु दोष	वंशिक शारारिक	11. 7	माता में लाइम रोग संब्र	म्मण	17.माता में टोक्सोप्लामोसिस संक्रमण					
	6. माता में यकृत	त विकार	12. 7	माता में मलेरिया संक्रम	ण	18. कथन नहीं किया गया					
		ालेस्टास)	1								

अस्पताल का नाम

दुर्बलता इत्यादि।

टिप्पण :- इत्तिला देने वाले यह सुनिश्चित करेगा कि मृत जन्म रिपोर्ट प्ररूप में कोई भी मद यथासंभव, रिक्त नहीं छोड़ी जाये।

प्ररूप सं. 4

(नियम 7 देखिए)

मृत्यु के कारण का चिकित्सीय प्रमाणपत्र

(अस्पताल में भर्ती रोगी, मृत जन्म के लिए उपयोग नहीं लिया जायेगा) प्ररूप सं. 2 (मृत्यु रिपोर्ट) के साथ रजिस्ट्रार को भेजा जायेगा मृतक के निकटतम नातेदार को इस प्रमाणपत्र की एक प्रति उपलब्ध करवायी जायेगी।

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि व्यक्ति जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गयी है, की मृत्यु

अस्पताल के वार्ड सं. में दि दि - मा मा - व व व व व को पूर्वाहन/अपराहन.....

बजे हुई है।					
मृतक का नाग	म: प्रथम	नाम म	१ध्य नाम	अंतिम नाम	सांख्यिकीय
		मृत्यु के	 समय आयु		कार्यालय
			3		उपयोग हेतु
लिंग	यदि 1 वर्ष या	यदि 1 वर्ष से	यदि 1 मास	यदि 1 दिन से	
	अधिक हो, तो	कम हो, तो	से कम हो, तो	कम हो, तो	
	आयु वर्षों में	आयु मास में	आयु दिनों में	आयु घंटों में	
1. पुरुष					
2. स्त्री					
3.उभयलिंगी					
व्यक्ति					
	<u>मृत्यु क</u>	<u> कारण</u>		प्रारंभ और	
				मृत्यु के बीच	
1. तात्काति	त्रेक कारण	(क)	के कारण	लगभग	
रोग, क्षति	या जटिलताओं	(या के परिण	ामस्वरूप)	अंतराल	
का कथन	कीजिए, जिनके				
कारण मृत	यु हुई है, न कि				
मृत्यु का	प्रकार जैसे कि				
ह्रदयगति	रुक जाना,				

पूर्ववर्ती कारण (ख)के कारण
अंतिम दशा का उल्लेख करते (या के परिणामस्वरूप)
ह्ए, अस्वस्थ दशाएं, यदि कोई
हो, जिनसे उपर्युक्त कारण उत्पन्न हुआ
2. अन्य महत्वपूर्ण दशाएं जिनका (ग)
मृत्यु में योगदान रहा है, किंतु
वे उस रोग या दशा से संबंधित
नहीं है जिससे मृत्यु हुई है
मृत्यु की रीति कैसे ह्ई?
(1) प्राकृतिक (2) दुर्घटना (3) आत्महत्या
(4) मानव वध (5) लंबित अन्वेषण
यदि मृतक महिला थी, तो क्या गर्भावस्था का संबंध मृत्यु से था? (1) हां (2) नहीं
यदि हां, तो क्या प्रसव हुआ था? (1) हां (2) नहीं

मृत्यु के कारण को सत्यापित करने वाले	चिवि	न्त्सा	परि	चर	का न	ाम	और	हरू	ताक्ष	₹
सत्यापन दिनांक:	दि	दि	-	मा	मा	-	व	व	व	व

[अनुदेशों के लिए पीछे देखिए]

मृत्यु के कारण का चिकित्सीय प्रमाणपत्र

प्ररूप पूर्ण करने के लिए अनुदेश

मृतक का नाम :- नाम, जहां कहीं भी आता है, [प्रथम नाम], [मध्य नाम] एवं [अंतिम नाम] के रूपविधान में उपबंधित किया जायेगा, जहां पूर्ण नाम (संक्षिप्त नहीं) बड़े अक्षरों में लिखा जायेगा और प्रथम नाम अनिवार्य है। [प्रथम नाम] या [मध्य नाम] या [अंतिम नाम] में से कम से कम दो अक्षर होने चाहिएं। यदि मृतक शिशु है और मृत्यु के समय तक उसका नाम नहीं रखा गया है, तो रिक्त छोड़ दे।

आयु: यदि मृतक एक वर्ष से अधिक की आयु का है तो आयु पूर्ण वर्षों में लिखें। यदि मृतक एक वर्ष से कम आयु का था तो आयु मास में लिखें और यदि एक मास से कम का था तो आयु में दिनों की पूर्ण संख्या लिखें और यदि एक दिन से कम था, तो आयु घंटों में लिखें।

मृत्यु का कारण :- प्ररूप का यह भाग सदैव उपचारित करने वाले चिकित्सक द्वारा स्वयं पूर्ण किया जायेगा।

मृत्यु के कारण का प्रमाणपत्र दो भागों, 1 और 2 में विभाजित किया गया है। भाग 1 पुनः तीन भागों में अर्थात, पंक्ति (क), (ख) और (ग) में विभाजित किया गया है। यदि एकल रूग्ण दशा पूर्णतया मृत्यु को स्पष्ट करती है तो यह भाग 1 की पंक्ति (क) में लिखी जायेगी और भाग 1 या भाग 2 के शेष भाग में और कुछ लिखित करने की आवश्यकता नहीं है उदाहरणार्थ - चेचक, लोबार निमोनिया, हृदयघात, बेरी-बेरी आदि मृत्यु के पर्याप्त कारण हैं और सामान्यत: किसी अन्य उल्लेख की आवश्यकता नहीं होगी।

तथापि, बहुधा, मृत्यु के समय कई रूग्ण दशाएं विद्यमान होती हैं और तब चिकित्सक को, प्रमाणपत्र समुचित रीति से भरना चाहिए तािक सही मुख्य कारण सारणीबद्ध किया जा सके। प्रथमतया, मृत्यु का तत्काल कारण भाग 1 (क) में प्रविष्ट करें। इससे मृत्यु का ढंग अर्थात् हृदय गित रूक जाना, श्वसन रूक जाना इत्यादि अभिप्रेत नहीं है। ये निबंधन प्रमाणपत्र में बिल्कुल नहीं दिये जाने चाहिएं क्योंकि वे मृत्यु के ढंग हैं न कि मृत्यु के कारण। तत्पश्चात् इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या मृत्यु का तात्कालिक कारण जटिलता है, या किसी अन्य कारण के विलंबित परिणाम है। यदि हां, तो भाग 1 में पंक्ति (ख) में पूर्ववर्ती कारण प्रविष्ट कीजिए। कभी-कभी मृत्यु होने तक घटने वाली घटनाओं के तीन चरण होते हैं यदि ऐसा है तो पंक्ति (ग) पूर्ण की जायेगी। सारणीबद्ध किये जाने वाले मुख्य कारण को सदैव भाग 1 के अंत में लिखा जायेगा।

ऐसी रूग्ण दशाएं या क्षतियां विद्यमान हो सकती हैं, जो मृत्यु कारित करने की घटनाओं की श्रृंखला से प्रत्यक्षतः संबंधित नहीं हों, किंतु जो घातक परिणाम में किसी प्रकार सहयोग करती हैं। कभी-कभी चिकित्सक के लिए यह विनिश्चय करना कठिन हो जाता है विशेष रूप से शिशु-मृत्यु के लिए कि विभिन्न स्वतंत्र दशाओं में से मृत्यु का प्राथमिक कारण कौन सी दशा है, किंतु केवल एक ही कारण सारणीबद्ध किया जा सकता है, जिसका चिकित्सक को विनिश्चय करना होगा। यदि अन्य रोग, मुख्य कारण को प्रभावित नहीं करते हैं, तो वे भाग 2 में प्रविष्ट किए जायेंगे।

एक ही पंक्ति में दो या अधिक दशाएं नहीं लिखें। कृपया प्रमाणपत्रों में रोगों के नाम (पूर्णरूपेण) और सुपाठ्य रूप से लिखें जिससे उनके गलत पढ़े जाने के जोखिम से यथासंभव बचा जा सके।

प्रारंभ :- जहां भी संभव हो, प्रारंभ और मृत्यु के मध्य अंतराल के लिए स्तम्भ पूर्ण करें, भले ही उसे लगभग रूप में भरिए, अर्थात् "जन्म से" "कई वर्षीं" से।

आकस्मिक या हिंसात्मक मृत्यु :- क्षिति का बाहय कारण और प्रकृति, दोनों आवश्यक हैं और किथेत किये जाने चाहिए। चिकित्सक या अस्पताल को, शरीर के क्षितिग्रस्त भाग का कथन करते हुए, क्षिति का वर्णन करने में समर्थ होना चाहिए और जब यह दर्शाया जाये तो बाहय कारण दिया जाना चाहिए। उदाहरण : (क) हाइपोस्टेटिक निमोनिया (ख) फीमर की ग्रीवा का अस्थिभंग; (ग) घर में सीढ़ी से गिरना।

मातृ मृत्यु :- गर्भावस्था और प्रसव पर प्रश्नों का उत्तर देना सुनिश्चित करें। यह इत्तिला तरुणावस्था की समस्त महिलाओं के लिए आवश्यक है, चाहे गर्भ का मृत्यु से कोई संबंध न हो।

वृद्धावस्था या वृद्धत्व :- यदि कोई अधिक विनिर्दिष्ट कारण ज्ञात है तो वृद्धावस्था (या वृद्धत्व) को मृत्यु का कारण नहीं बताया जाना चाहिए। यदि वृद्धावस्था एक सहायक कारण है तो इसे भाग 2 प्रविष्ट किया जाना चाहिए। उदाहरण : (क) प्राना ब्रांकाइटिस, 2 वृद्धावस्था।

इत्तिला की पूर्णता :- पूर्ण इतिवृत अपेक्षित नहीं है, किंतु यदि इत्तिला उपलब्ध है, तो मुख्य कारण को समुचित रूप में वर्गीकृत करने को समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त ब्यौरे दिये जाने चाहिए।

उदाहरण: रक्ताल्पता- यदि ज्ञात है, तो रक्ताल्पता का प्रकार बताइए। नियोप्लाजम-उपदर्शित कीजिए कि सामान्य है या घातक और उसका स्थल, जहां संभव हो, प्राथमिक नियोप्लाजम के स्थल सहित, हृदय रोग- विनिर्दिष्ट रूप से दशा का वर्णन कीजिए; यदि रक्तावधिक से हृदय गित रूकी है, पुलमोनेल पर क्रोनिक इत्यादि आदि का उल्लेख किया गया है तो पूर्ववर्ती दशाएं दीजिए। टिटनस-यदि ज्ञात है तो पूर्ववर्ती क्षिति का वर्णन कीजिए। ऑपरेशन- वह दशा लिखिए जिसके कारण ऑपरेशन किया गया है। अतिसार (पेचिस)- यदि ज्ञात है तो यह विनिर्दिष्ट कीजिए कि वह बेसीलियरी या अमीबी, आदि है। गर्भावस्था या प्रसव की जटिलताएं-जटिलता का विनिर्दिष्टतया वर्णन कीजिए, क्षय रोग (टी.बी.) प्रभावित अंगों का नाम दीजिए।

लक्षणात्मक कथन :- मरोइ, संग्रहणी, ज्वर, एसाइटिस, पीलिया, अशक्तता आदि ऐसे लक्षण हैं जो कई विभिन्न दशाओं में से किसी एक के कारण विद्यमान हो सकते हैं। कभी-कभी इससे अधिक कुछ ज्ञात नहीं होता है किंतु यदि सम्भव है तो उस रोग का नाम दीजिए जिससे वह लक्षण उत्पन्न हुआ है।

मृत्यु का ढंग: यदि मृत्यु बाह्य कारण के बिना है तो इसको प्राकृतिक (सामान्य) मृत्यु अंकित किया जाये। यदि मृत्यु का कारण ज्ञात हो, परन्तु यह ज्ञात नहीं है कि मृत्यु दुर्घटना, आत्महत्या या मानव द्वारा हत्या से है और यह आगे अन्वेषण का विषय है तो यही मृत्यु का कारण अज्ञात अंकित किया जाये और मृत्यु का ढंग में 'लंबित अन्वेषण' दर्शित किया जाये।

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1969 (2023 में संशोधित) की धारा 10(2) के उपबंधों के अनुसार, मृत्यु के कारण का प्रमाणपत्र रजिस्ट्रार को दिया जायेगा और उसकी एक प्रति मृतक के निकटतम नातेदार को दी जायेगी।

प्ररूप सं. 4क

(नियम 7 देखिए)

मृत्यु के कारण का चिकित्सीय प्रमाणपत्र

(गैर-संस्थागत मृत्यु के लिए, मृत जन्मों के लिए उपयोग नहीं किया जायेगा) (प्ररूप सं. 2 (मृत्यु रिपोर्ट) के साथ जन्म और मृत्यु रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अधीन रिजस्ट्रार को मृत्यु से संबंधित इत्तिला देने के लिए अपेक्षित व्यक्ति को दिया जायेगा)

	मैं	इसके	द्वारा	प्रमा	णित व	न्रता	हूं कि	मृत	नक -	श्री/श्री	मती	/कुम	गरी			٠ ر	पुत्र/पर्त्न	ो/पुत्री
		नि	वास						दिन	ांक .				से			तक	मेरे
उपचार	के	अधीन	था/थी	और	उसकी	मृत्यु	दि	दि	- J	ा मा	-	व	व	व व	को	पूर्वा	हन/अप	राहन
		. बजे	हुई थी।															

मृतक का न	ाम : प्रथम	ा नाम	F	ाध्य नाम	अंतिम नाम	Ŧ	सांख्यिकीय		
		मृत्यु	के	समय आयु			कार्यालय		
			उपयोग हेतु						
लिंग	यदि 1 वर्ष या	यदि 1 वर्ष	र्भ से	यदि 1 मास	यदि 1 दिन	से			
	अधिक हो, तो	कम हो,	तो	से कम हो, तो	कम हो,	तो			
	आयु वर्षीं में	आयु मास	में	आयु दिनों में	आयु घंटों में				
1. पुरुष									
2. स्त्री									
3.उभयलिंगी									
व्यक्ति									
	<u>मृत्यु का कारण</u> प्रारंभ और								
					मृत्यु के र्ब	चि			

1.तात्कालिक कारण	(क) के कारण	लगभग				
रोग, क्षति या जटिलताओं	(या के परिणामस्वरूप)	अंतराल				
का उल्लेख कीजिए, जिनके						
कारण मृत्यु ह्ई है न कि						
मृत्यु का प्रकार जैसे कि						
हृदयगति रुक जाना,						
दुर्बलता, इत्यादि।						
पूर्ववर्ती कारण	(ख)के कारण					
अंतिम दशा का उल्लेख करते	(या के परिणामस्वरूप)					
ह्ए, अस्वस्थ (दशाएं), यदि कोई						
हो, जिनसे उपर्युक्त कारण उत्पन्न हुआ						
S	3					
2. अन्य महत्वपूर्ण दशाएं जिनका	(ग)					
मृत्यु में योगदान रहा है, किंतु						
वे उस रोग या दशा में संबंधित						
नहीं है जिससे मृत्यु हुई है						
यदि मृतक महिला थी, तो क्या गर्भाव	स्था का संबंध मृत्य से	था? (1) हां	(2) नहीं			
यदि हां, तो क्या प्रसव हुआ था? (1)	• •					

मृत्यु	के	कारण	को	सत्यापित	करने	वाले	चि	कित्स	ग ट	यवस	गयी	का न	गम	और	हर	ताक्ष	₹
				सत्यापन	दिनांक	5 :		दि	दि	-	मा	मा	-	व	व	व	व

[अनुदेशों के लिए पीछे देखिए]

मृत्यु के कारण का चिकित्सीय प्रमाणपत्र प्ररूप पूर्ण करने के लिए अनुदेश

मृतक का नाम :- नाम, जहां कहीं भी आता है, [प्रथम नाम], [मध्य नाम] एवं [अंतिम नाम] के निम्न रूपविधान में उपबंधित किया जायेगा, जहां पूर्ण नाम (संक्षिप्त नहीं) बड़े अक्षरों में लिखा जायेगा और प्रथम नाम अनिवार्य है। [प्रथम नाम] या [मध्य नाम] या [अंतिम नाम] में से कम से कम दो अक्षर होने चाहिएं। यदि मृतक शिशु है और मृत्यु के समय तक उसका नाम नहीं रखा गया है, तो रिक्त छोड़ दे।

आयु: यदि मृतक एक वर्ष से अधिक की आयु का है तो आयु पूर्ण वर्षों में लिखें। यदि मृतक एक वर्ष से कम आयु का था तो आयु मास में लिखें और यदि एक मास से कम का था तो आयु में दिनों की पूर्ण संख्या लिखें और यदि एक दिन से कम था, तो आयु घंटों में लिखें।

मृत्यु का कारण :- प्ररूप का यह भाग सदैव उपचारित करने वाले चिकित्सक द्वारा स्वयं पूर्ण किया जायेगा।

मृत्यु के कारण का प्रमाणपत्र दो भागों, 1 और 2 में विभाजित किया गया है। भाग 1 पुनः तीन भागों में अर्थात्, पंक्ति (क), (ख) और (ग) में विभाजित किया गया है। यदि एकल रूग्ण दशा पूर्णतया मृत्यु को स्पष्ट करती है तो यह भाग 1 की पंक्ति (क) में लिखी जायेगी और भाग 1 या भाग 2 के शेष भाग में और कुछ लिखित करने की आवश्यकता नहीं है उदाहरणार्थ - चेचक, लोबार निमोनिया, हृदयघात, बेरी-बेरी आदि मृत्यु के पर्याप्त कारण हैं और सामान्यतः किसी अन्य उल्लेख की आवश्यकता नहीं होगी।

तथापि, बहुधा, मृत्यु के समय कई रूग्ण दशाएं विद्यमान होती हैं और तब चिकित्सक को, प्रमाणपत्र समुचित रीति से भरना चाहिए ताकि सही मुख्य कारण सारणीबद्ध किया जा सके। प्रथमतया, मृत्यु का तत्काल कारण भाग 1 (क) में प्रविष्ट करें। इससे मृत्यु का ढंग अर्थात् हृदय गित रूक जाना, श्वसन रूक जाना इत्यादि अभिप्रेत नहीं है। ये निबंधन प्रमाणपत्र में बिल्कुल नहीं दिये जाने चाहिए क्योंकि वे मृत्यु के ढंग हैं न कि मृत्यु के कारण। तत्पश्चात् इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या मृत्यु का तात्कालिक कारण जित्तता है, या किसी अन्य कारण के विलंबित परिणाम है। यदि हां, तो भाग 1 में पंक्ति (ख) में पूर्ववर्ती कारण प्रविष्ट कीजिए। कभी-कभी मृत्यु होने तक घटने वाली घटनाओं के तीन चरण होते हैं यदि ऐसा है तो पंक्ति (ग) पूर्ण की जायेगी। सारणीबद्ध किये जाने वाले मुख्य कारण को सदैव भाग 1 के अंत में लिखा जायेगा।

ऐसी रूग्ण दशाएं या क्षतियां विद्यमान हो सकती हैं, जो मृत्यु कारित करने की घटनाओं की श्रृंखला से प्रत्यक्षतः संबंधित नहीं हों, किंतु जो घातक परिणाम में किसी प्रकार सहयोग करती हैं। कभी-कभी चिकित्सक के लिए यह विनिश्चय करना कठिन हो जाता है विशेष रूप से शिशु-मृत्यु के लिए कि विभिन्न स्वतंत्र दशाओं में से मृत्यु का प्राथमिक कारण कौन सी दशा है, किंतु केवल एक ही कारण सारणीबद्ध किया जा सकता है, जिसका चिकित्सक को विनिश्चय करना होगा। यदि अन्य रोग, मुख्य कारण को प्रभावित नहीं करते हैं, तो वे भाग 2 में प्रविष्ट किए जायेंगे।

एक ही पंक्ति में दो या अधिक दशाएं नहीं लिखें। कृपया प्रमाणपत्रों में रोगों के नाम (पूर्णरूपेण) और सुपाठ्य रूप से लिखें जिससे उनके गलत पढ़े जाने के जोखिम से यथा संभव बचा जा सके।

प्रारंभ :- जहां भी संभव हो, प्रारंभ और मृत्यु के मध्य अंतराल के लिए स्तम्भ पूर्ण करें, भले ही उसे लगभग रूप में भरिए, अर्थात् "जन्म से" "कई वर्षों" से।

आकस्मिक या हिंसात्मक मृत्यु :- क्षिति का बाहय कारण और प्रकृति, दोनों आवश्यक हैं और कथित की जानी चाहिए। चिकित्सक या अस्पताल को, शरीर के क्षितिग्रस्त भाग का कथन करते हुए, क्षिति का वर्णन करने में समर्थ होना चाहिए और जब यह दर्शाया जाये तो बाहय कारण दिया जाना चाहिए। उदाहरण : (क) हाइपोस्टेटिक निमोनिया (ख) फीमर की ग्रीवा का अस्थिभंग; (ग) घर में सीढ़ी से गिरना।

मातृ मृत्यु :- गर्भावस्था और प्रसव पर प्रश्नों का उत्तर देना सुनिश्चित करें। यह इत्तिला तरुणावस्था की समस्त महिलाओं के लिए आवश्यक है, चाहे गर्भ का मृत्यु से कोई संबंध न हो। वृद्धावस्था या वृद्धत्व :- यदि कोई अधिक विनिर्दिष्ट कारण ज्ञात है तो वृद्धावस्था (या वृद्धत्व) को मृत्यु का कारण नहीं बताया जाना चाहिए। यदि वृद्धावस्था एक सहायक कारण है तो इसे भाग

इत्तिला की पूर्णता :- पूर्ण इतिवृत अपेक्षित नहीं है, किंतु यदि इत्तिला उपलब्ध है, तो मुख्य कारण को समुचित रूप में वर्गीकृत करने को समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त ब्यौरे दिए जाने चाहिए।

2 प्रविष्ट किया जाना चाहिए। उदाहरण : (क) पुराना ब्रांकाइटिस, 2 वृद्धावस्था।

उदाहरण : रक्ताल्पता- यदि ज्ञात है, तो रक्ताल्पता का प्रकार बताइए। नियोप्लाजम-उपदर्शित कीजिए कि सामान्य है या घातक और उसका स्थल, जहां संभव हो, प्राथमिक नियोप्लाजम के स्थल सहित, हृदय रोग- विनिर्दिष्ट रूप से दशा का वर्णन कीजिए; यदि रक्तावधिक से हृदय गित रूकी है, पुलमोनेल पर क्रोनिक इत्यादि आदि का उल्लेख किया गया है तो पूर्ववर्ती दशाएंदीजिए। टिटनस-यदि ज्ञात है तो पूर्ववर्ती क्षति का वर्णन कीजिए। ऑपरेशन- वह दशा लिखिए जिसके कारण ऑपरेशन किया गया है। अतिसार (पेचिस)- यदि ज्ञात है तो यह विनिर्दिष्ट कीजिए कि वह बेसीलियरी या अमीबी, आदि है। गर्भावस्था या प्रसव की जटिलताएं-जटिलता का विनिर्दिष्टतया वर्णन कीजिए, क्षय रोग (टी.बी.) प्रभावित अंगों का नाम दीजिए।

लक्षणात्मक कथन :- मरोइ, संग्रहणी, ज्वर, एसाइटिस, पीलिया, अशक्तता आदि ऐसे लक्षण हैं जो कई विभिन्न दशाओं में से किसी एक के कारण विद्यमान हो सकते हैं। कभी-कभी इससे अधिक कुछ ज्ञात नहीं होता है किंतु यदि सम्भव है तो उस रोग का नाम दीजिए जिससे वह लक्षण उत्पन्न ह्आ है।

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1969 (2023 में संशोधित) की धारा 10(3) के उपबंधों के अनुसार, मृत्यु के कारण का प्रमाणपत्र मृत्यु के संबंध में सूचना देने के लिए अधिनियम के अधीन अपेक्षित व्यक्ति को दिया जायेगा।



सं. No.



प्ररूप स.- 5

(see rule 8 and 13) (नियम 8 और 13 देखिए)

राजस्थान सरकार

GOVERNMENT OF RAJASTHAN आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय

प्रमाणपत्र जारी करने वाले स्थानीय क्षेत्र/निकाय का नाम

DIRECTORATE OF ECONOMICS AND STATISTICS

Name of local area/body issuing certificate

जन्म प्रमाणपत्र BIRTH CERTIFICATE

(जन्म आर मृत्यु राजस्ट्राकरण आधानयम, 1969 (2023 म संशाधित) का धारा 12/17 तथा राजस्थान जन्म आर मृत्यु							
रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 (2025 में संशोधित) के नियम 8/13 के अधीन जारी किया गया ।)							
Issued under section 12/17 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (amended in 2023) and							
rule 8/13 of the Rajasthan Registration of Births and Deaths Rules, 2000 (amended in 2025)).							
यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सूचना जन्म के मूल अभिलेख से ली गयी है जो कि (स्थानीय क्षेत्र/स्थानीय							
निकाय) उप-जिला/तहसीलजिलाराज्य के रजिस्टर में उल्लिखित है।							
This is to certify that the following information has been taken from the original record of birth which is							
the register of (local area/local body) of Sub-district/Tehsil of Sub-district/Tehsil							
of District of State/Union Territory							
नाम/Name:							
लिंग/Sex							
ਗਰਸ तिथि/Date fo Birth							
जन्म स्थान/Place of birth							
माता का नाम/Name of Mother							
माता का आधार सं./Aadhaar No. of Mother x x x x x x x x x x x							
पिता का नाम/Name of Father							

पिता का नाम/Name of Father

पिता का आधार सं./Aadhaar No. of Father	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
बच्चे के जन्म के समय माता और पिता का पता	माता और पिता का स्थायी पता
Address of parents at the time of birth of child	Permanent address of parents
रजिस्ट्रीकरण सं./Registration No	रजिस्ट्रीकरण दिनांक/Date of Registration
टिप्पण/Remarks (if any)	
जारी करने की दिनांक/Date of issue	
	गरी के हस्ताक्षर/Signature of the issuing authority
आरा करन वाल प्र	ाधिकारी का पता/Address of the issuing authority
	मुहर/Seal
प्रत्यक जन्म आर मृत्यु का राजस्ट्राकरण सीनारवाप क	रें। Ensure registration of every birth and death
. 6	
सं. No.	
	सं 6
	8 and 13)
·	र 13 देखिए)
	न सरकार
GOVERNMENT	OF RAJASTHAN
आर्थिक एवं सांरि	ख्यिकी निदेशालय
प्रमाणपत्र जारी करने वाले २	स्थानीय क्षेत्र/निकाय का नाम
	NOMICS AND STATISTICS
	ody issuing certificate
	।
	ERTIFICATE
5 5	ं संशोधित) की धारा 12/17 तथा राजस्थान जन्म और मृत्यु
रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 (2025 में संशोधित) के नियम 8/	ŕ
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Births and Deaths Act, 1969 (amended in 2023) and
rule 8/13 of the Rajasthan Registration of Births and	
	के मूल अभिलेख से ली गयी है जो कि (स्थानीय क्षेत्र/स्थानीय
निकाय)जिला	
	been taken from the original record of death which is
the register of (local area/local body)	of Sub-district/Tehsil
of District	
ਗਸ/Name:	
मृतक का आधार सं./Aadhaar No. of deceased: लिंग/Sex	x x x x x x x x
मृत्यु की दिनांक/Date fo death	
मृत्यु का स्थान/Place of death	
माता का नाम/Name of Mother	
माता का आधार सं./Aadhaar No. of Mother	
O The Street Control of Motificial	

पिता का आधार सं./Aadhaar No. of Father x x x पति/पत्नी का नाम/Name of Husband/Wife	x x x x x x x
	x x x x x x x x x x
	मृतक का स्थायी पता
Address of the deceased at the time of Death	Permanent address of the deceased
रजिस्ट्रीकरण सं./Registration No रजिस्ट्रीव	करण दिनांक/Date of Registration
टिप्पण/Remarks (if any)	
जारी करने की दिनाकं/Date of issue	री के हस्ताक्षर/Signature of the issuing authority
	धिकारी का पता/Address of the issuing authority मुहर/Seal
प्रत्येक जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण सुनिश्चित करें। Ensu	ure registration of every birth and death.
प्ररूप सं	. 7
(नियम 12	देखिए)
जन्म रि	ते स्ट र
विधिक इी	त्तला
यह भाग जन्म रजिस्ट	र में जोड़ा जायेगा
इत्तिला देने वाले द्वारा भरा जायेगा।	
1. जन्म दिनांक :	- मा मा - व व व व
2. लिंग ("पुरुष" या "स्त्री" या "उभयलिंगी व्य	यक्ति" प्रविष्ट कीजिए) :
3. संतान के ब्यौरे (यदि नाम नहीं रखा गया	हो रिक्त छोड़ दें) :-
(क) संतान का नाम: प्रथम नाम দুংয	प्रनाम अंतिम नाम
(ख) आधार सं. (यदि उपलब्ध हो)	
4. पिता के ब्यौरे :-	
(क) नाम: प्रथम नाम मध्य नाम अंतिम नाम	
(ख)आधार सं. (यदि उपलब्ध हो)	
(ग) मोबाइल नं.:	
(घ) ई-मेल आईडी :	

5. माता के ब्यौरे :-

उप-जिला/तहसीलः

मध्य नाम

अंतिम नाम

शहर या ग्राम:

(क) नाम :

राज्य या संघ राज्यक्षेत्र:

9. इत्तिला देने वाले का विवरण:

प्रथम नाम

जिला:

पिन कोड:

260

ा 4(ग)		राजस्थान राज-पत्र, फरव	वरी , 07 2025	261
	(ख) आधार सं. (यदि	उपलब्ध हो)		
	(ग) मोबाइल नं.:			
	(घ) ई-मेल आईडी :			
	(ङ) पता:		घर सं. :	
	परिक्षेत्र:	वार्ड सं. (शहर के मामले मे	मं और यदि उपलब्ध ह	हो)
	शहर या ग्राम:	उप-जिला/तहसीलः	जिला:	
	राज्य या संघ राज्य	क्षित्र:	पिन कोड:	
घोषणा:	मैंने अपनी सर्वोत्तम जान	कारी और विश्वास के अनुसार	सही जानकारी दी है। व	नुझे गलत जानकारी
देने के ि	लेए जन्म और मृत्यु रजि	स्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (2	2023 में संशोधित) की	धारा 23 के अधीन
शास्तियों	की जानकारी है। मैं आध	गर प्रमाणीकरण के माध्यम से	पहचान अधिप्रमाणित व	न्रने के लिए आधार
(वित्तीय	और अन्य सब्सिडी, लाभ	और सेवाओं का लक्षित परिदान	न) अधिनियम, 2016 के	अधीन सहमति भी

देता हूं। (1 से 9 तक समस्त कॉलम पूर्ण करने के पश्चात्, इत्तिला देने वाला हस्ताक्षर करेगा और तारीख लिखेगा)

दिनांक: दिदि - मा मा - व व व व

इत्तिला देने वाले का हस्ताक्षर या बाएं हाथ की अंगूठा निशानी

रजिस्ट्रार द्वारा भरा जायेगा

रजिस्ट्रीकरण सं. : रजिस्ट्रीकरण दिनांक:

<u>भाग 4(ग)</u>

मा मा -

रजिस्ट्रीकरण इकाई:

	नाम	कोड संख्यांक
शहर/ग्राम		
उप-जिला/तहसील		
जिला		

टिप्पण (यदि कोई हो):

रजिस्ट्रार का नाम और हस्ताक्षर

प्ररूप सं. 8

(नियम 12 देखिए)

मृत्यु रजिस्टर

विधिक इत्तिला

यह भाग मृत्यु रजिस्टर में जोड़ा जायेगा	
इत्तिला देने वाले द्वारा भरा जायेगा	
1. मृत्यु दिनांक दि दि - मा मा - व व व व	
2. मृतक के ब्यौरे :-	
(क) नाम: प्रथम नाम मध्य नाम अंतिम नाम	
(ख) आधार सं. (यदि उपलब्ध हो)	
(ग) जन्म दिनांक (यदि उपलब्ध हो) : दि दि - मा मा - व व व व]
(घ) आयु :	
3. लिंग ("पुरुष" या "स्त्री" या "उभयलिंगी व्यक्ति" प्रविष्ट कीजिए):	
4. माता के ब्यौरे:-	
(क) नाम: प्रथम नाम मध्य नाम अंतिम नाम	
(ख)आधार सं. (यदि उपलब्ध हो):]
(ग) मोबाइल नं.:	
(घ) ई-मेल आईडी :	
5. पिता के ब्यौरे:-	
(क) नाम: प्रथम नाम मध्य नाम अंतिम नाम	
(ख) आधार सं. (यदि उपलब्ध हो):]
(ग) मोबाइल नं. :	

·—	2	عب
(घ)	ਵ-ਸਕ	आईडी:
(\neg)	2	2114211

6. जीवनसाथी (पति/पत्नी के ब्यौरे):-	
(क) नाम: प्रथम नाम मध्य	ा नाम अंतिम नाम
(ख) आधार सं. (यदि उपलब्ध हो)	
(ग) जन आधार कुटुंब पहचान स	ř
(यदि उपलब्ध हो):	
(घ) जन्म दिनांक (यदि उपलब्ध	हो): दि दि - मा मा - व व व
(ङ) आयु: (पूर्ण वर्षों में)	
(च) मोबाइल नं. :	
(छ) ई-मेल आईडी :	
7. मृत्यु के समय मृतक का पता:	घर सं. :
परिक्षेत्र: वार्ड सं. (शहर वे	न मामले में और यदि उपलब्ध हो)
शहर या ग्राम: उप-जिला/तह	इसीलः जिला:
राज्य या संघ राज्यक्षेत्रः	पिन कोड:
8. मृतक का स्थायी पता:	घर सं. :
परिक्षेत्र : वार्ड सं. (शहर	के मामले में और यदि उपलब्ध हो)
शहर या ग्राम : उप-जिला/त	वहसीलः जिलाः
राज्य या संघ राज्यक्षेत्र :	पिन कोड:
9. मृत्यु का स्थान (नीचे उपयुक्त प्रविष्टि	र 1 या 2 या 3 पर सही का निशान लगायें और "अस्पताल/संस्था"
का नाम और पता या "घर" या "अन्य स्थान	न" का पता लिखें, जहां मृत्यु हुई है):
1. अस्पताल/संस्था	2. घर 3. अन्य स्थान
अस्पताल/संस्था का नाम	1/2/3 का पता: घर सं. :
परिक्षेत्र:	वार्ड सं. (शहर के मामले में और यदि उपलब्ध हो)
शहर या ग्राम: उप-जिल	ग/तहसीलः जिला:

204 राजस्थान राज-	44, 47441 U7, ZUZ	<u>/</u>	<u> नाग 4(ग)</u>
राज्य या संघ राज्यक्षेत्र:	पिन क	जेड:	
10. इत्तिला देने वाले के ब्यौरे:-			
(क) नाम : प्रथम नाम	मध्य नाम अंतिम नाम		
(ख) आधार सं. (यदि उपलब्ध	हो)		
(ग) जन आधार कुटुंब पहचान	सं.		
(यदि उपलब्ध हो) (घ) मोबाइल नं. :			
(ङ) ई-मेल आईडी :			
(च) पता :	घर सं. :		
परिक्षेत्र:	वार्ड सं. (शहर के	मामले में अं	रि यदि उपलब्ध हो)
शहर या ग्राम: उप-जिल	11/तहसीलः	जिला:	
राज्य या संघ राज्यक्षेत्र:	पिन	ा कोड:	
घोषणाः मैंने अपनी सर्वोत्तम जानकारी और र्व	वेश्वास के अनसार सही	जानकारी दी	है। मझे गलत जानकारी
देने के लिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अ			
शास्तियों की जानकारी है। मैं आधार प्रमाणीक			
(वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाअं			
देता हूं।	in the that in taking on	1-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-1	To the original Adjustice on
भरे सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी में, मृतक के	् भाशांग का ह्यौग उपत्र	हुश सदी है।	
(1 से 10 तक समस्त कॉलम पूर्ण करने के पश्चात्			गरीख लिखेगा)
दि दि - मा मा - व व व व	7	10 4/0411 3110 0	interition)
	इत्तिला देने वाले व	ा हस्ताक्षर या	बाएं हाथ की अंगूठा निशानी
गनिप्ता	टतास भग जारोगा		

रजिस्ट्रार द्वारा भरा जायेगा

रजिस्ट्रीकरण सं. : रजिस्ट्रीकरण दिनांक: रजिस्ट्रीकरण इकाई: शहर/ग्राम उप-जिला/तहसील

जिला

टिप्पण (यदि कोई हो): मृत्यु का कारण (प्ररूप ४/४क के अनुसार)

रजिस्ट्रार का नाम और हस्ताक्षर

प्ररूप सं. 9
(नियम 12 देखिए)
मृत जन्म रिपोर्ट
विधिक इत्तिला
यह भाग मृत जन्म रजिस्टर में जोड़ा जायेगा
इत्तिला देने वाले द्वारा भरा जायेगा
1. जन्म दिनांक: दि दि - मा मा - व व व व
2. लिंग ("पुरुष" या "स्त्री" या "उभयलिंगी" व्यक्ति प्रविष्ट करें) :
3. पिता के ब्यौरे:
(क) नाम : प्रथम नाम मध्य नाम अंतिम नाम
(ख) आधार सं. (यदि उपलब्ध हो):
(ग) मोबाइल नं.:
(घ) ई-मेल आईडी :
4 >
4. माता के ब्यौरे:-
(क) नाम: प्रथम नाम मध्य नाम अंतिम नाम
(ख) आधार सं. (यदि उपलब्ध हो):
(ग) जन आधार कटुंब पहचान सं.
(यदि उपलब्ध हो):
(ङ) ई-मेल आईडी :
5. जन्म स्थान (उपयुक्त प्रविष्टि 1 या 2 या 3 पर सही का निशान लगायें और "अस्पताल/संस्था" का न
और पता या "घर" या "अन्य स्थान" का पता जहां बच्चे का जन्म हुआ है लिखें):

- ाम
 - 2. घर 3. अन्य स्थान 1. अस्पताल/संस्था 1/2/3 का पता: घर सं. : अस्पताल/संस्थाका नाम

उप-जिला/तहसीलः

जिला

परिक्ष	नेत्र:	वार्ड स	i. (शहर के मामले में और र	पदि उपलब्ध हो)
शहर या	ग्राम:	उप-जिला/तहसीलः	जिला:	
राज्य या	संघ राज्यक्षेत्र:		पिन कोड:	
6. इत्ति	ला देने वाले क	ज विवरण:		
(क)	नाम :		प्रथम नाम मध्य नाम	अंतिम नाम
(ख)	आधार सं. (य	दि उपलब्ध हो):		
(ग)	मोबाइल नं.:			
(ঘ)	ई-मेल आईडी	:		
(₹)	पता:	घर	सं. :	
परिक्षे	র:	वार्ड	सं. (शहर के मामले में और	यदि उपलब्ध हो)
शहर	या ग्राम:	उप-जिला/तहसीलः	जिला:	
राज्य	या संघ राज्यक्षे	ার:	पिन कोड:	
घोषणा: मैंने 3	ापनी सर्वोत्तम ज	ानकारी और विश्वास के	अनुसार सही जानकारी दी है।	मुझे गलत जानकारी
			1969 (2023 में संशोधित) व	
			ध्यम से पहचान अधिप्रमाणित	
	अन्य सब्सिडी, ला	भ और सेवाओं का लक्षि	ात परिदान) अधिनियम, 2016	के अधीन सहमति भी
देता हूं। (1 से 6 तक स	मस्त कॉलम पर्ण क	रने के पश्चात. इत्तिला देव	ने वाला हस्ताक्षर करेगा और तारीर	व लिखेगा)
दिनांक: दि		- a a a a	\	,
		इात	तिला देने वाले के हस्ताक्षर या बाएँ	हिश्य की अगूठा निशानी
		रजिस्ट्रार द्वारा ध	भरा जायेगा	
रजिस्ट्रीकरण सं.	:			
रजिस्ट्रीकरण दिव		दि दि	- मा मा - व व व व	
रजिस्ट्रीकरण इक	गई:			
शहर/ग्राम				

टिप्पण (यदि कोई हो):

रजिस्ट्रार का नाम और हस्ताक्षर

प्ररूप सं. 10 (नियम 13 देखिए)

अनुपलब्धता प्रमाणपत्र

(जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (2023 में संशोधित) की धारा 17 के अधीन जारी)

यह प्रमाणित किया जाता है श्री/श्रीमती/कुमारी	पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री के
अनुरोध पर (स्थानीय क्षेत्र) (उप-रि	जेला/तहसील)(जिला)
(राज्य) के वर्ष (वर्षो) से	। संबंधित रजिस्ट्रीकरण अभिलेखों
की तलाशी ली गयी और यह पाया गया कि पुत्र/पु	त्रीमृत्यु से
संबंधित घटना का रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ है।	
दिनांक: दि दि - मा मा - व व व व	

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर व मुहर

प्ररूप सं. 11 (नियम 14 देखिए) जन्म की मासिक रिपोर्ट का सारांश

			c		$\sim \sim \sim$
1.	J	मास	 वष	का	रिपाट

- 2. जिला :
- 3. नगर/ग्राम :
- 4. रजिस्ट्रीकरण इकाई :
- 5. मास में रजिस्ट्रीकृत जन्म की सं. :

पुरुष	महिला	उभयलिंगी व्यक्ति	कुल*
(1)	(2)	(3)	(1+2+3)

- 6. जन्म रजिस्ट्रीकरण में समय अंतराल :
 - (क) उनके होने के 21 दिवस की समय-सीमा में:
 - (ख) उनके होने के 21 दिवस पश्चात् किंत् 30 दिवस के भीतर:
 - (ग) उनके होने के 30 दिवस पश्चात् किंतु 1 वर्ष के भीतर:
 - (घ) उनके होने के 1 वर्ष पश्चात्:

क्ल* (क+ख+ग+घ)

*योग, इस मासिक रिपोर्ट के साथ संलग्न जन्म रिपोर्ट प्ररूप (प्ररूप सं. 1) के सांख्यिकीय भाग की संख्या के बराबर होनी चाहिए।

रजिस्ट्रार का नाम और हस्ताक्षर

दिनांक: दि दि - मा मा - व व व व मुख्य रजिस्ट्रार/जिला रजिस्ट्रार को प्रस्तुत

प्ररूप सं. 12

(नियम 14 देखिए)

मृत्यु की मासिक रिपोर्ट का सारांश

1	 माम	ਰੁष		रिपोर्ट
ι.	 רצורי	 чч	971	13 710

- 2. जिला:
- 3. नगर/ग्राम:
- 4. रजिस्ट्रीकरण इकाई:
- 5. मास के दौरान रजिस्ट्रीकृत मृत्य्ओं का विवरण:

मृत्यु	(समस्	त शिशु मृत्यु,	, बाल	शिशु मृत्यु (आयु एक वर्ष से कम)			बाल मृत्यु (आयु एक वर्ष से			मातृ मृत्यु		
Ŧ,	ाृत्यु औ	र मातृ मृत्यु	को				अधिक किंतु पांच वर्ष से कम)					
	सम्मि	लेत करते हुए)									
पुरुष	स्त्री	उभय लिंगी	योग*	पुरुष	स्त्री	उभय लिंगी	योग∗	पुरुष	स्त्री	उभय लिंगी	योग∗	
		व्यक्ति				व्यक्ति				व्यक्ति		
•												
	Ŧ	मृत्यु औ सम्मिर्ग	मृत्यु और मातृ मृत्यु सम्मिलित करते हुए पुरुष स्त्री उभयलिंगी	3	मृत्यु और मातृ मृत्यु को सम्मिलित करते हुए) पुरुष स्त्री उभयलिंगी योग* पुरुष	मृत्यु और मातृ मृत्यु को सम्मिलित करते हुए) पुरुष स्त्री उभयलिंगी योग* पुरुष स्त्री	मृत्यु और मातृ मृत्यु को सम्मिलित करते हुए) पुरुष स्त्री उभयलिंगी योग* पुरुष स्त्री उभयलिंगी	मृत्यु और मातृ मृत्यु को सम्मिलित करते हुए) पुरुष स्त्री उभयलिंगी योग* पुरुष स्त्री उभयलिंगी योग*	मृत्यु और मातृ मृत्यु को अधि सम्मिलित करते हुए) पुरुष स्त्री उभयलिंगी योग* पुरुष स्त्री उभयलिंगी योग* पुरुष	मृत्यु और मातृ मृत्यु को अधिक किंत् सम्मिलित करते हुए) पुरुष स्त्री उभयलिंगी योग* पुरुष स्त्री उभयलिंगी योग* पुरुष स्त्री	मृत्यु और मातृ मृत्यु को अधिक किंतु पांच वर्ष से सम्मिलित करते हुए) पुरुष स्त्री उभयलिंगी योग* पुरुष स्त्री उभयलिंगी योग* पुरुष स्त्री उभयलिंगी	मृत्यु और मातृ मृत्यु को अधिक किंतु पांच वर्ष से कम) सम्मिलित करते हुए) पुरुष स्त्री उभयलिंगी योग* पुरुष स्त्री उभयलिंगी योग* पुरुष स्त्री उभयलिंगी योग*

- 6. जन्म रजिस्ट्रीकरण में समय अंतराल:
 - (क) उनके होने के 21 दिवस की समय-सीमा में:
 - (ख) उनके होने के 21 दिवस पश्चात् किंतु 30 दिवस के भीतर:
 - (ग) उनके होने के 30 दिवस पश्चात् किंतु 1 वर्ष के भीतर:

(घ) उनके होने के 1 वर्ष पश्चात्:

क्ल* (क+ख+ग+घ):

टिप्पण:- शिशु, बाल एवं मातृ मृत्यु को भी मृत्युओं में सिम्मिलित किया जाना चाहिए। *योग, इस मासिक रिपोर्ट के साथ संलग्न जन्म रिपोर्ट प्ररूप (प्ररूप सं. 2) के सांख्यिकीय भाग की संख्या के बराबर होनी चाहिए।

रजिस्ट्रार का नाम और हस्ताक्षर

दिनांक: दि दि - मा मा - व व व व

म्ख्य रजिस्ट्रार/जिला रजिस्ट्रार को प्रस्त्त

प्ररूप सं. 13

(नियम 14 देखिए)

मृत जन्म मासिक रिपोर्ट का सारांश

4			4	244
١.	मास	 q٩	পা	ारपाट

- 2. जिला:
- 3. नगर/ग्राम:
- 4. रजिस्ट्रीकरण इकाई:
- 5. रजिस्ट्रीकृत मृत जन्म की सं. :

पुरुष	महिला	उभयलिंगी व्यक्ति	कुल*
(1)	(2)	(3)	(1+2+3)

- 6. मृत जन्म रजिस्ट्रीकरण में समय अंतराल:
 - (क) उनके होने के 21 दिवस की समय-सीमा में:
 - (ख) उनके होने के 21 दिवस पश्चात् किंतु 30 दिवस के भीतर:
 - (ग) उनके होने के 30 दिवस पश्चात् किंतु 1 वर्ष के भीतर:
 - (घ) उनके होने के 1 वर्ष पश्चात्:

कुल* (क+ख+ग+घ):

*योग, इस मासिक रिपोर्ट के साथ संलग्न मृत जन्म रिपोर्ट प्ररूप (प्ररूप सं. 1) के सांख्यिकीय भाग की संख्या के बराबर होनी चाहिए।

दिनांक:

रजिस्ट्रार का नाम और हस्ताक्षर"

दिनांक:	दि	दि	-	मा	मा	-	व	व	व	व
~	9		7		_					

मुख्य रजिस्ट्रार/जिला रजिस्ट्रार को प्रस्तुत

14. नए प्ररूप 14 और 15 का जोड़ा जाना.- इस प्रकार प्रतिस्थापित प्ररूप सं. 13 के पश्चात् नये प्ररूप सं. 14 और 15 को जोड़े जायेंगे, अर्थात्:-

"प्ररूप सं. 14

(नियम 9 देखिए)

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (2023 में संशोधित) की धारा 13 (2) के अधीन जन्म/मृत्यु की विलंबित इत्तिला देने के लिए स्वप्रमाणित दस्तावेज का रूपविधान

घोषणा

मैं	पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी
	इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि
	1. मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति
	की जन्म/मृत्यु की विलंबित सूचना का इत्तिला देने वाला हूं;
	2. उसका/उसकी, जन्म/मृत्यु दिनांक को (जन्म/मृत्यु का
	स्थान) पर हुआ/हुई;
	3. उसके/उसकी, जन्म/मृत्यु की घटना के समय उपस्थित थे जिनका निवास
	4. उसके/उसकी, जन्म/मृत्यु की विलंबित इत्तिला के कारण;
	5. उसके/उसकी, जन्म/मृत्यु प्रमाणपत्र की आवश्यकता का उद्देश्य;
	घोषणा: मैं यह घोषणा करता/करती हूं कि उपर्युक्त इत्तिला सही है और मैंने उपर्युक्त घटना
	की इत्तिला किसी रजिस्ट्रार को नहीं दी है और मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार
	इस संबंध में कोई जन्म/मृत्यु प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है।

दिदि - मा मा - व व व व

इत्तिला देने वाले के हस्ताक्षर या बाएं हाथ का अंगूठा निशानी

टिप्पण:

- 1. दिनांक, जहां कहीं भी आयी है, दिदि-मामा-वववव रूपविधान में उपबंधित की जायेगी, जहां दिदि दो अंकों में दिनांक, मामा दो अंकों में मास और वववव चार अंकों में वर्ष लिखा जायेगा। जहां भी कहीं दिनांक शब्दों में लिखी जाती है, वहां पूर्णरूप में यथा 01-01-2023 को एक जनवरी दो हजार तेईस लिखी जायेगी। दिनांक एवं अन्य गणितीय प्रविष्टियां भरने हेतु अरेबिक/न्यूमरल्स यथा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, का उपयोग किया जायेगा।
- 2. नाम, जहां भी आता है, [प्रथम नाम], [मध्य नाम] एवं [अंतिम नाम] के रूपविधान में उपबंधित किया जायेगा, जहां पूर्ण नाम (संक्षिप्त नहीं) अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखा जायेगा और प्रथम नाम अनिवार्य है। [प्रथम नाम] या [मध्य नाम] या [अंतिम नाम] में से कम से कम दो अक्षर होने चाहिएं।
- 3. पता, जहां भी आता है, घर संख्या, परिक्षेत्र, वार्ड संख्या (शहर की स्थिति में और यदि उपलब्ध हो) शहर या ग्राम, उप-जिला/तहसील, जिला, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र और पिन कोड लिखा जायेगा।

प्ररूप सं. 15 (नियम 16क देखिए) अपील हेत् प्ररूप

(मुख्य रजिस्ट्रार/जिला रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जायेगा) (जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (2023 में संशोधित) की धारा 25क के अधीन)

1. रजिस्ट्रार/जिला रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार/जिला रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी है: के किसी कार्य या आदेश से व्यथित होने पर (कार्यालय के ब्यौरे नीचे उपलब्ध कराये जायेंगे)

राज्य	जिला	उप-जिला/	शहर/ग्राम	परिक्षेत्र	रजिस्ट्रीकरण	रजिस्ट्रार/जिला रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार/जिला
		तहसील			इकाई आईडी	रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने के लिए
						प्राधिकृत किसी अधिकारी का नाम

2. घटना के लिए अपील किये जाने के लिए तारीख और आदेश सं. का ब्यौरा (घटना का ब्यौरेवार विवरण उपलब्ध करावें, संलग्नक भी लगावें, यदि आवश्यक हो)

घोषणा: मैंने अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अन्सार सही जानकारी दी है।

(अपीलार्थी के हस्ताक्षर)

अपीलार्थी के ब्यौरे:

\sim			
7		dh	•
14	ण।	4,	

दि	दि	-	मा	मा	-	व	व	व	व

नाम	पता	आधार सं.	ई-मेल आईडी	मोबाईल नं.

टिप्पण:

- 1. कृपया आपके स्वयं के अभिलेख के लिए इस प्ररूप की एक प्रति रखिए।
- 2. अपील, यदि कोई हो, ऐसी कार्रवाई की तारीख से या ऐसे आदेश प्राप्ति की तारीख, जिससे कोई व्यक्ति व्यथित हो, के 30 दिन की कालाविध के भीतर जिला रजिस्ट्रार/मुख्य रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जायेगी।
- 3. दिनांक, जहां कहीं भी आयी है, दिदि-मामा-वववव रूपविधान में उपबंधित की जायेगी, जहां दिदि दो अंकों में दिनांक, मामा दो अंकों में मास और वववव चार अंकों में वर्ष लिखा जायेगा। जहां भी कहीं दिनांक शब्दों में लिखी जाती है, वहां पूर्णरूप में यथा 01-01-2023 को एक जनवरी दो हजार तेईस लिखी जायेगी। दिनांक एवं अन्य गणितीय प्रविष्टियां भरने हेतु अरेबिक/न्यूमरल्स यथा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, का उपयोग किया जायेगा।
- 4. नाम, जहां भी आता है, [प्रथम नाम], [मध्य नाम] एवं [अंतिम नाम] के रूपविधान में उपबंधित किया जायेगा, जहां पूर्ण नाम (संक्षिप्त नहीं) बड़े अक्षरों में लिखा जायेगा और प्रथम नाम अनिवार्य है। [प्रथम नाम] या [मध्य नाम] या [अंतिम नाम] में से कम से कम दो अक्षर होने चाहिएं।
- 5. पता, जहां भी आता है, घर संख्या, परिक्षेत्र, वार्ड संख्या (शहर की स्थिति में और यदि उपलब्ध हो) शहर या ग्राम, उप-जिला/तहसील, जिला, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र और पिन कोड लिखा जायेगा।"।

[सं.एफ 13/1/3/रूल-2024/वीएस/डीइएस/2024/107] राज्यपाल की आजा से,

> अनुपमा जोरवाल, विशिष्ठ शासन सचिव

Statistics Department NOTIFICATION Jaipur, January 31, 2025

- **S.0.118.-** In exercise of the powers conferred by section 30 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (Central Act No. 18 of 1969), the State Government, with the approval of the Central Government, hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Registration of Births and Deaths Rules, 2000, namely: -
- **1. Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Rajasthan Registration of Births and Deaths (Amendment) Rules, 2025.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Amendment of rule 5.-** In rule 5 of the Rajasthan Registration of Births and Deaths Rules, 2000, hereinafter referred to as the said rules,-
 - (i) the existing sub-rule (1) shall be substituted by the following, namely:-
 - "(1) The information required to be given to the Registrar under section 8 or section 9, as the case may be, shall be in Form No. 1, 1-A, 2 and 3 for the Registration of a birth, birth of an adopted child, death and still birth respectively, hereinafter to be collectively called the reporting forms. Information if given orally shall be entered by the Registrar in the appropriate reporting forms and the signature/thumb impression of the informant obtained."; and
 - (ii) after the existing sub-rule (3), the following new sub-rule (4), (5) and (6) shall be added, namely:-
 - "(4) Name, wherever it occurs in Forms shall be provided in the format of first name-middle name-last name and the name shall not contain any abbreviations.
 - (5) Date, wherever it occurs in Forms shall be provided in the format of DD-MM-YYYY, where DD is the date in two digits, MM is the month in two digits and YYYY is the year in four digits.
 - (6) The address, wherever it occurs in Forms shall contain the House number, Locality, Ward number (in case of town and if available), Town or Village, Sub-district/Tehsil, District, State and PIN Code.".

3.Amendment of rule 7.- In rule 7 of the said rules,-

- (a) in title, for the existing expression "under section 10(3)", the expression "under subsection (2) and (3) of section 10" shall be substituted;
- (b) for the existing expression "The certificate as to the cause of death", the expression "The certificate as to the cause of death including the history of illness, if any," shall be substituted;

- (c) for the existing expression "under sub-section (3) of section 10", the expression "under sub-sections (2) and (3) of section 10" shall be substituted; and
- (d) for the existing expression "Form No. 4 or 4A as the case may be", the expression "Form No. 4 and 4A respectively" shall be substituted.

4. Amendment of rule 8.- In rule 8 of the said rules,-

- (a) in title, for the existing expression "Extracts of registration entries to be given under section 12", the expression "Certificate of registration of births or deaths to be given under section 12" shall be substituted;
- (b) in the sub-rule (1),-
 - (i) for the existing expression "The extracts of particulars", the expression "The certificate of birth or death extracted" shall be substituted; and
 - (ii) for the existing expression "given to an informant", the expression "given to an informant, electronically or otherwise," shall be substituted;
- (c) the existing sub-rule (2) shall be substituted by the following, namely:-
 - "(2) In the case of domiciliary events of births and deaths, as the case may be, referred to in clauses (a), (aa), (ab) and (ac) of sub-section (1) of section 8 which are reported direct to the Registrar of Births and Deaths, the head of the house or household, as the case may be, or, in his absence, the nearest relative of the head present in the house, or, in his absence, the oldest adult person present in the house, the adoptive parents, the parent, and the biological parent, as the case may be, may obtain electronically or otherwise the certificate of birth or death from the Registrar within thirty days of its reporting.";
- (d) in sub-rule (3), -
 - (i) for the existing expression "shall transmit the extracts", the expression "shall transmit the certificate, electronically or otherwise," shall be substituted; and
 - (ii) for the existing expression "the nearest relative of the head present in the house", the expression "the nearest relative of the head present in the house or, in his absence the oldest adult person present in the house" shall be substituted;
- (e) in sub-rule (4),-
 - (i) for the existing expression "births and deaths referred to in clause (b) to (e)", the expression "births and deaths, as the case may be, referred to in clauses (b) to (e) including clause (da), (db) and (dc)" shall be substituted;
 - (ii) for the existing expression "collect the extract", the expression "obtain the certificate electronically or otherwise" shall be substituted; and

(f) in sub-rule (5), for the existing expression "extract", the expression "certificate" shall be substituted.

5. Amendment of rule 9.- In rule 9 of the said rules, -

- (a) in sub-rule (i), for the existing expression "rupee one", the expression "twenty rupees" shall be substituted; and
- (b) the existing sub-rule (ii) and (iii) shall be substituted by the following, namely: -
 - "(ii) Any birth or death of which delayed information is given to the Registrar after thirty days but within one year or its occurrence, shall be registered only with the written permission of the District Registrar or the Block Statistical Officer or any other officer authorized by the Chief Registrar (Births and Deaths) in this behalf and on payment of a late fee of fifty rupees and on production of self-attested document, electronically or otherwise, in Form No. 14.
 - (iii) Any birth or death of which delayed information is given to the Registrar after one year of its occurrence, shall be registered only on an Order made by the District Magistrate or Sub-Divisional Magistrate or by Executive Magistrate authorized by the District Magistrate, having jurisdiction over the area where the birth or death had taken place and on payment of a late fee of one hundred rupees".
- **6. Amendment of rule 12.-** In rule 12 of the said rules, for the existing expression "Forms No. 1", the expression "Forms No. 1, 1A" shall be substituted.

7. Amendment of rule 13.- In rule 13 of the said rules, -

- (a) in sub-rule (1), -
 - (i) for the existing expression "an extract", the expression "a certificate of birth or death" shall be substituted;
 - (ii) for the existing expression "issued under section 17 shall be as follow", the expression "issued electronically or otherwise under section 17 shall be as follows" shall be substituted;
 - (iii) for the existing expression "Rs. 2.00", wherever occurring, the expression "Rs. 20.00" shall be substituted;
 - (iv) in clause (c), -
 - (i) for the existing expression "extract", the expression "certificate" shall be substituted; and
 - (ii) for the existing expression "Rs. 5.00", the expression "Rs. 50.00" shall be substituted;
- (b) in sub-rule (2), for the existing expression "extract in regard to a birth or death shall be issued", the expression "certificate on the basis of extract from the register relating to birth or death shall be issued under section 17," shall be substituted; and

- (c) in sub-rule (4), for the existing expression "extracts", the expression "certificate" shall be substituted.
- **8. Amendment of rule 16.-** The existing sub-rule (2) of rule 16 of the said rules shall be substituted by the following, namely: -
 - "(2) Any such offence may be compounded on payment of such sum, not exceeding two hundred and fifty rupees for offences under sub-section (1), (2) and (4), fifty rupees for offences under sub-section (3), and one thousand rupees in respect of each birth or death for offences under sub-sections (1A) and (4A) of section 23, as the said officer may think fit."
- **9. Insertion of new rule 16A.-** After the existing rule 16 and before the existing rule 17 of the said rules, the following new rule 16A shall be inserted, namely: -
 - "**16A. Appeal.-** An appeal under sub-section (1) of section 25A shall be preferred in Form No. 15."
 - 10. Amendment of rule 17.- In rule 17 of the said rules, -
 - (a) in sub-rule (2), for the existing expression "court orders and the orders of the specified authorities granting permission for delayed registration received under section 13 by the Registrar", the expression "permission granted under sub-section (2) of section 13 and the orders issued under sub-section (3) of section 13 for delayed registration received by the Registrar" shall be substituted; and
 - (b) in sub-rule (3), for the existing expression "sub-section (3)", the expression "sub-section (2) and (3)" shall be substituted.
- **11. Substitution of Form No. 1.-** The existing Form No. 1 appended to the said rules shall be substituted by the following, namely: -

"FORM NO.1

(see rule 5)

BIRTH REPORT

Legal information

[SEE REVERSE FOR INSTRUCTIONS]

This part to be added to the Birth Register

To be filled by the informant			
1. Date of Birth:	D D - M N	M - Y Y Y	Υ
2. Sex (Enter "Male" or "Female"	ale" or "Transgender p	person"):	
3. Child's Details (if not name (a) Name, if any: (b) Adhaar No. (if available)		e Name Las	st Name
4. Father's Details: - (a) Name	First Name	Middle Name	Last Name
(b) Aadhaar No. (if available) (c) Mobile No:			

(d) Email id: 5. Mother's Details:
(a) Name: First Name Middle Name Last Name
(b) Aadhaar No. (if available)
(c) Jan Aadhaar family
identity No. (if available):
(e) Email id:
6. Address of parents at the time of birth of the Child: House No:
Locality: Ward number (in case of town and if available):
Town or Village: Sub-district/Tehsil: District:
State or Union Territory: PIN Code:
7. Permanent address of parents: House No:
Locality: Ward number (in case of town and if available):
Town or Village: Sub-district/Tehsil: District:
State or Union Territory: PIN Code:
8. Place of birth (Tick the appropriate entry 1 or 2 or 3 below and give the name and address of
the "Hospital/ Institution "or the address of the "House" or 'Other place' where the birth took place):
1. Hospital / Institution 2. House 3. Other place
Name of Hospital/Institution: Address of 1/2/3: House No:
Locality: Ward number (in case of town and if available):
Town or Village: Sub-district/Tehsil: District: State or Union Territory: PIN Code:
State of Official Perintory.
9. Informant's Details:
(a) Name First Name Middle Name Last Name
(b) Aadhaar No.
(if available)
(c) Mobile No:
(d) Email id:
(e) Address: House No:
Locality: Ward number (in case of town and if available): Town or Village: Sub-district/Tehsil: District:
Town or Village: Sub-district/Tehsil: District: State or Union Territory: PIN Code:
Statistical Information
10. Town or Village of Residence of the mother (Place where the mother usually lives. This can be different from the place where the delivery
occurred. Tick appropriate entry "Town" or "Village" and write its name):
Town or Village: Sub-district/Tehsil: District:
State or Union Territory: PIN Code:
11. For Religion [Enter appropriate religion "Hindu" or Muslim" or "Christian" or "Sikh" or "Buddhist" or "Jain" or "Other (Please specify)"](a) Religion of Father:(b) Religion of Mother:
12. Father's level of education:
13. Mother's level of education:
14. Father's Occupation:
15. Mother's Occupation:
16. Age of the mother (in completed years) at the time of marriage (If married more than once, age at first marriage is to be written):17. Age of the mother (in completed years) at the time of this birth:
27.750 of the modern fin completed years) at the tillic of this birth.
18. Number of children born alive to the mother so far including this child (Number of children born alive to include also those from earlier marriage(s), if any):
19. Type of attention at delivery (Tick the appropriate entry below):1. Institutional-Government
2. Institutional-Private or Non-Government
3. Doctor, Nurse or Trained Midwife
4. Traditional Birth Attendant
5. Relatives or others

20. Method of Delivery (Tick the appropriate entry below):

1. Natural 2. Caesarean 3. Forceps/Vacuum

21. Birth Weight (in kgs.) (if available):

22. Duration of pregnancy (in weeks):

(In the case of multiple births, fill in a separate form for each child and write 'Twin birth' or 'Triple birth' etc., as the case may be, in the remarks column below left.)

DECLARATION: I have furnished true information to the best of my knowledge and belief. I am aware of the penalties under section 23 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (amended in 2023) for submitting false information. Also, I give consent, under Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016, for authenticating identity by way of Aadhaar authentication. (After completing all columns 1 to 22, informant will put date and signature)

Date:	D	D	-	Μ	М	-	Υ	Υ	Υ	Υ

Signature or left thumb mark of the informant

To be filled by the Registrar

| D D - M M - Y Y Y Y | Pagistration Units

Registration Unit:

	Name	Code No.
District		
Sub-district/Tehsil		
Town/Village		

Date of Birth: D D - M M - Y Y Y Y

Sex: - Male/ Female / Transgender person

Place of Birth: 1. Hospital / Institution 2. House 3. Other place

Remarks (if any):

Name and Signature of the Registrar"

Instructions for completing the Form 1: BIRTH REPORT

Item No.	Instructions
1	Date, wherever it occurs, is to be provided in dd-mm-yyyy format, where dd is date in two digits, mm is month in two digits and yyyy is year in four digits. Wherever the date is written in words it should be written in full e.g 01-01-2023 shall be written as First January two thousand twenty three. Use only 'Arabic numerals' such as 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 for recording dates and other numerical entries.
2	Enter "Male" or "Female" or "Transgender Person". Do not use abbreviation.
3,4,5,9	Name, wherever it occurs, is to be provided in the format of [first name] [middle name] [last name] where full name (not abbreviation) to be written in capital letters and first name is mandatory. There should be minimum two characters in either [first name] or [middle name] or [last name]. If child is not named, leave blank. Birth can be registered without name of the child. However, name of child can be inserted, free of charge, within 12 months of registration (Refer Rule10 of State Rules).
6,7,8,9	Address, wherever it occurs, shall contain the name of State or Union Territory, District, Sub-district/ Tehsil, Town or Village, Ward number (in case of town and if available), Locality, House number and PIN Code.
8	Tick the appropriate entry for place of birth 1. Hospital/Institution 2. House 3. Other place Give the name and address of the "Hospital/Institution" or the address of the "House" or 'Other place" where the birth took place.

10				where the mother usually d. The house address is		
12,13	Level of Ed	lucation-Write	one of following —			
,	1.Pre-	6.Class 5 11.Class 10 16.Bachelor/ 21. Literate withou				
	Primary			Undergraduate	formal education	
	2.Class 1	7.Class 6	12.Class 11	17.PG Diploma	22.Illiterate	
	3.Class 2	8.Class 7	13.Class 12	18.Master/		
				Postgraduate		
	4.Class 3	9.Class 8	14.ITI	19.M. Phil		
	5.Class 4	10.Class 9 15.Diploma/Certificate 20.Doctorate & above				
	(Enter the completed level of education e.g. if studied up to class VII but passed only class VI, write class VI)					
14,15	Occupation-Write one of following—					
	1. Cultivator					
	2. Agriculture Labourer					
	3. Daily Wages Earner (Other than Agriculture Labourer)					
	4. Sir	ngle/Family W	orker/Self Employed			
	5. Employer					
	6. Government Employee					
			ee (Other than Domest	ic Helper)		
		mestic Helpe		. ,		
		n-Worker [']				

Note: The informant must ensure that no item in the Birth Report Form is left blank to the extent possible.

12. Insertion of new Form No. 1A.- After the Form No. 1, so substituted and before the existing Form No. 2 appended to the said rules, the following new Form No. 1A shall be inserted, namely: -

"Form NO.1-A

(Legal information) (see rule 5) [SEE REVERSE FOR INSTRUCTIONS] BIRTH REPORT FOR ADOPTED CHILD This part to be added to the Birth Register To be filled by the informant 1*. Date of Birth: D D - M M - Y Y Y 2*. Sex (Enter "Male" or "Female" or "Transgender person"): 3. Child's Details (if name is changed on adoption, write new name): -(a) Name of the Child: First Name Middle Name Last Name (b) Aadhaar No. (if available) 4*. Mother's Details (If known): -First Name Last Name (b) Aadhaar No. (if available) (c) Jan Aadhaar family identity No. (if available) (d) Mobile No: (e) Email id: 5*. Father's Details (If known): -Middle Name Last Name (a) Name First Name (b) Aadhaar No (if available) (c) Jan Aadhaar

16. Adoptive Mother's level of education:

family identity No. (if available) (d) Mobile No: (e) Email id:
6. Details of adoption deed/order: (a) Date: (b) Number of Adoption deed/order.
7. Adoptive Mother's Details: - (a) Name First Name Middle Name Last Name
(b) Aadhaar No (if available) (c) Jan Aadhaar family identity No. (if available) (d) Mobile No: (e) Email id:
8. Adoptive Father's Details:
(a) Name: (b) Aadhaar No. (if available): (c) Jan Aadhaar family identity No. (if available) (d) Mobile No: (e) Email Id:
9. Address of adoptive parents as recorded in Adoption deed/ order: House No:
Locality: Ward number (in case of town and if available):
Town or Village: Sub-district/Tehsil: District: State or Union Territory: PIN Code:
10. Permanent address of adoptive parents: House No:
Locality: Ward number (in case of town and if available): Town or Village: Sub-district/Tehsil: District:
State or Union Territory: PIN Code:
11*.Place of birth: (Tick the appropriate entry 1 or 2 or 3 below and give the name and address of the Institution" or the address of the "House" or
Other place where the birth took place):
1. Hospital / Institution 2. House 3. Other place
Name of Hospital/Institution: Address of 1/2/3: House No:
Locality: Ward number (in case of town and if available): Town or Village: Sub-district/Tehsil: District:
State or Union Territory: PIN Code:
12. If adoption through agency write the address of the Adoption agency: House No:
Locality: Ward number (in case of town and if available):
Town or Village: Sub-district/Tehsil: District:
State or Union Territory: PIN Code:
13. Informant's Details:
(a) Name: First Name Middle Name Last Name
(b) Aadhaar No. (If available):
(c) Mobile No:
(d) Email id: (e) Address: House No:
(e) Address: House No: Locality: Ward number (in case of town and if available):
Town or Village: Sub-district/Tehsil: District:
State or Union Territory: PIN Code:
*As contained in the original birth certificate.
Statistical Information
14. For Religion [Enter appropriate religion "Hindu" or Muslim" or "Christian" or "Sikh" or "Buddhist or "Jain" or "other (Please specify)"](a) Religion of Adoptive Father:(b) Religion of Adoptive Mother:
15. Adoptive Father's level of education:

17. Adoptive Father's Occupation:

18. Adoptive Mother's Occupation:

DECLARATION: I have furnished true information to the best of my knowledge and belief. I am aware of the penalties under section 23 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (amended in 2023) for submitting false information. Also, I give consent, under Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016, for authenticating identity by way of Aadhaar authentication. (After completing all columns 1 to 18, informant will put date and signature)

Date:	D	D	_	М	М	_	٧	٧	٧	٧
Date.	U	U	-	IVI	IVI	-	T	T	T	T

Signature or left thumb mark of the informant

To be filled by the Registrar

Registration No:

 D
 D
 M
 M
 Y
 Y
 Y
 Y

Registration Unit:

	Name	Code No.
District		
Sub-district/Tehsil:		
Town/Village		

Date of Birth: D D - M M - Y Y Y Y

Sex: - Male/ Female / Transgender person

Place of Birth: 1. Hospital / Institution 2. House 3. Other place

Remarks (if any):

Name and Signature of the Registrar"

Instructions for completing the Form 1-A: BIRTH REPORT FOR ADOPTED CHILD

Item No.			Ins	structions		
1,6	Date, wherever it occurs, is to be provided in dd-mm-yyyy format, where dd is date in two digits, mm is month in two digits and yyyy is year in four digits Wherever the date is written in words it should be written in full e.g 01-01-2023 shall be written as First January two thousand twenty three. If date of birth is unknown, record the date of birth as reflected in adoption order or deed, as the case may be. Use only 'Arabic numerals' such as 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 for recording dates and other numerical entries.					
2	Enter "Male"	or "Female" o	r "Transgender F	Person". Do not use abbrev	iation.	
3,4,5,7,8,13	Name, wherever it occurs, is to be provided in the format of [first name] [middle name] [last name] where full name (not abbreviation) to be written in capital letters and first name is mandatory. There should be minimum two characters in either [first name] or [middle name] or [last name].					
9,10,11,12,13	Address, wherever it occurs, shall contain the name of State or Union Territory, District, Sub-district/Tehsil, Town or Village, Ward number (in case of town and if available), Locality, House number and PIN Code.					
15,16	Level of Edu	cation-Write o	ne of following—	-		
	1.Pre- Primary	6.Class 5	11.Class 10	16.Bachelor /Under graduate	21.Literate without formal education	
	2.Class 1	7.Class 6	12.Class 11	17.PG Diploma	22.Illiterate	
	3.Class 2	8.Class 7	13.Class 12	18. Master/ Post graduate		
	4.Class 3	9.Class 8	14.ITI	19.M. Phil		
	5.Class 4	10.Class 9	15.Diploma /Certificate	20.Doctorate & above		
	(Enter the co	•	of education e.g.	. if studied upto class VII bเ	ut passed only class VI,	

17,18	Occupation-Write one of following—
	1. Cultivator
	2. Agriculture Labourer
	3. Daily Wages Earner (Other than Agriculture Labourer)
	4. Single/Family Worker/Self Employed
	5. Employer
	6. Government Employee
	7. Private Employee (Other than Domestic Helper)
	8. Domestic Helper
	9. Non-Worker

Note: The informant responsible for reporting birth event of adopted child shall be as per the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (amended in

The informant must ensure that no item in the form for Birth Report for Adopted Child is left blank to the extent possible.

13. Substitution of Form No. 2 to 13.- The existing Form No. 2 to 13 appended to the said rules shall be substituted by the following, namely: -

"FORM NO.2

(see rule 5) DEATH REPORT Legal information [SEE REVERSE FOR INSTRUCTIONS]

This part to be added to the Death Register

To be filled by the informant 1. Date of Death 2. Deceased's Details: - (a) Name: First Name Middle Name Last Name
(b) Aadhaar No. (if available):
(c) Date of Birth (if available): (d) Age: 3. Sex (Enter "Male" or "Female" or "Transgender person"):
4. Mother's Details: -
(a) Name: (b) Aadhaar No. (If available): (c) Mobile No: First Name Middle Name Last Name
(d) Email Id:
5. Father's Details: -
(a) Name: First Name Middle Name Last Name
(b) Aadhaar No. (If available):
(c) Mobile No:
(d) Email Id:
6. Spouse's (husband/wife) Details: -
(a) Name: First Name Middle Name Last Name
(b) Aadhaar No. (If available):
(c) Jan Aadhaar family identity No. (if available):
(d) Date of Birth DD-MM-YYYYY (if available):
(e) Age :(in completed years):
(f) Mobile No:
(g) Email Id:
7. Address of the deceased at the time of death: House No:

Ward number (in case of town and if available): Locality: Town or Village: Sub-district/Tehsil: District:

State or Union Territory:	PIN Code:
8. Permanent address of the dec	
Locality:	Ward number (in case of town and if available):
Town or Village:	Sub-district/Tehsil: District:
State or Union Territory:	PIN Code:
9. Place of death (Tick the approp place" where the death took place):	riate entry 1 or 2 or 3 below and give the name and address of the "Hospital/Institution" or the address of the "House" or "Other
1. Hospital / Institution	2. House 3. Other place
Name of Hospital/Institution:	Address of 1/2/3: House No:
Locality:	Ward number (in case of town and if available):
Town or Village:	Sub-district/Tehsil: District:
State or Union Territory:	PIN Code:
10. Informant's Details: -	
(a) Name:	First Name Middle Name Last Name
(b) Aadhaar No. (If available):	
(c) Jan Aadhaar family identity (if available)	No.
(d) Mobile No:	
(e) Email Id:	
. ,	se No:
Locality:	Ward number (in case of town and if available):
•	Sub-district/Tehsil: District:
Town or Village:	·
State or Union Territory:	PIN Code:
Statistical Information	
PIN Code: 12. Religion (Enter appropriate relations) 13. Occupation of the deceased:	eligion "Hindu" or "Muslim" or "Christian" or "Sikh" or "Buddhist" or "Jain" or "Other (Please specify)"):
14. Type of Medical Attention re	ceived before death (Tick the appropriate entry below):
1. Institutional	cerved before death (flow the appropriate entry below).
	other than Institution
No Medical attention of the second seco	
3. No Micalcal attention	<i>'</i> ''
15. Was the cause of death median 1. Yes 2. No	ically certified? (Tick the appropriate entry below):
1. 165 2. 110	
16. Name of Disease or Actual Ca	ause of Death (For all deaths irrespective of whether medically certified or not):
17. In case this is a female death	, did the death occur while pregnant, at the time of delivery or within 6 weeks after the end of pregnancy (Tick the
appropriate entry below):	
1. Yes 2. No	
40 Board to behitvelly south	
18. If used to habitually smoke –	
for how many years?	
19. If used to habitually chew to for how many years?	bacco in any form –
20. If used to habitually chew are	ecanut in any form
(including pan masala) –	•
for how many years?	
21. If used to habitually drink ale for how many years?	cohol –
many years:	

DECLARATION: I have furnished true information to the best of my knowledge and Belief. I am aware of the penalties under section 23 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (amended in 2023) for submitting false information. Also, I give consent under Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016, for authenticating identity by way of Aadhaar authentication.

To the best of my knowledge and information, the detail of Aadhaar of the deceased is not available.

(After completing all columns 1 to 21, Informant will put date and signature)

Date: D D - M M - Y Y Y

Signature or left thumb mark of the informant

To be filled by the Registrar

Registration No:

Registration Date: D D - M M - Y Y Y Y

Registration Unit:

	Name	Code No.
District		
Sub-district/Tehsil		
Town/Village		

Date of Death:

D D - M M -

Sex: - Male/ Female / Transgender person

Age of deceased:

Place of Death: 1. Hospital / Institution 2. House 3. Other place

Remarks (if any):

Cause of death (as per Form 4/4A)

Name and signature of the Registrar

Instructions for completing the Form 2: DEATH REPORT

Item No.	Instructions
1	Date, wherever it occurs, is to be provided in dd-mm-yyyy format, where dd is date in two digits, mm is month in two digits and yyyy is year in four digits Wherever the date is written in words it should be written in full e.g 01-01-2023 shall be written as First January two thousand twenty three. Use only 'Arabic numerals' such as 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 for recording dates and other Numerical entries.
2,4,5,6,10	Name, wherever it occurs, is to be provided in the format of [first name] [middle name] [last name] where full name (not abbreviation) to be written in capital letters and first name is mandatory. There should be minimum two characters in either [first name] or [middle name] or [last name].
3	Enter "Male" or "Female" or "Transgender Person". Do not use abbreviation.
2(d)	If the deceased was over 1 year of age, give age in completed years. If the deceased was below 1 year of age, give age in months, and if below 1 month give age in completed number of days, and if below one day, in hours.
7,8,9,10	Address, wherever it occurs, shall contain the name of State or Union Territory, District, Sub- District/Tehsil, Town or Village, Ward number (in case of town and if available), Locality, House number and PIN Code.
9	For Place of death tick the appropriate entry 1. Hospital/Institution 2. House 3. Other place Give the name and address of the "Hospital/Institution" or the address of the "House" or 'Other place" where the death took place.
11	Town or Village of the Residence of the deceased: Place where the deceased usually lived. This can be different from the place where the death occurred. The house address is not required to be entered.

13	Occupation- Write one of following—
	1. Cultivator
	2. Agriculture Labourer
	3. Daily Wages Earner (Other than Agriculture Labourer)
	4. Single/Family Worker/Self Employed
	5. Employer
	6. Government Employee
	7. Private Employee (Other than Domestic Helper)
	8. Domestic Helper
	9. Non-Worker

Note: The informant must ensure that no item in the Death Report Form is left blank to the extent possible.

> FORM NO.3 (see rule 5)

STILL BIRTH REPO	ORT
Legal information	
[SEE REVERSE FOR	•
This part to be added t	to the Still Birth Register
To be filled by the informant	
1. Date of D D - M M - Y Y Y Y Birth:	
2. Sex (Enter "Male" or "Female" or "Transgender person"):	
3. Father's Details: -	
(a) Name First Name Middle Name Last Na	ime
(b) Aadhaar No. (If available):	
	_
(c) Mobile No	
(d) Email Id:	
4. Mother's details: -	
(a) Name: First name Middle Name Las	st Name
(b) Aadhaar No. (If available):	
(c) Jan Aadhaar family identity No.	
(if available):	
(d) Mobile No:	
(e) Email Id:	
5. Place of birth (Tick the appropriate entry 1 or 2 or 3 below and give the name and the "Hospital/ Institution "or the address of the "House" or 'Other place' where the	
place):	
1. Hospital / Institution 2. House 3. Other place	
Name of Hospital/Institution: Address of 1/2/3: House N	
Locality: Ward number (in case of town and if available	le):
Town or Village: Sub-district/Tehsil: District: State or Union Territory: PIN Code:	
State or Union Territory: PIN Code:	
6 . Informant's Details:	
(a) Name: First Name Middle Name Last Name	
Thist Name Middle Name Last Name	
(b) Aadhaar No. (if available):]
(c) Mobile No:	
(d) Email id:	
(e) Address: House No:	
Locality: Ward number (in case of town and if available): Town or Village: Sub-district/Tehsil: District:	
State or Union Territory: PIN Code: District.	
state of official ferritory.	
Statistical Information	
7. Town or village of Residence of the mother (place where the mother usually I	ives. This can be different from
the place where the delivery occurred. Tick appropriate entry "Town" or "Village	
Town or Village: Sub-district/Tehsil: District:	and write its name,
State or Union Territory: PIN Code	
State of Officer Territory.	

- 8. Age of the mother (in completed years) at the time of this birth:
- 9. Mother's level of education:
- 10. Type of attention at delivery (Tick the appropriate entry below):
- 1. Institutional-Government
- 2. Institutional-Private or Non-Government
- 3. Doctor, Nurse or Trained Midwife
- 4. Traditional Birth Attendant
- 5. Relatives or others
- 11. Duration of pregnancy (in weeks):
- 12. Cause of foetal death (if known):

(In the case of multiple births, fill in a separate form for each child and write 'Twin birth' or 'Triple birth' etc. as the case may be, in the remarks column in the box below left.)

DECLARATION: I have furnished true information to the best of my knowledge and belief. I am aware of the penalties under section 23 of the Registration of Birth and Deaths Act, 1969 (amended in 2023) for submitting false information. Also, I give consent, under the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016, for authenticating identity by way of Aadhaar authentication (After completing all columns 1 to 12, Informant will put date and signature)

Date: D D Signature	- M M - Y	YYY	or left thumb mark of the informant
		To be filled by the Registrar	
Registration No:			
Registration Date:	D D - M	M - Y Y Y Y	
Registration Unit:			
	Name	Code No.	
District			
Sub-district/Tehsil			
Town/Village			

D D Sex: - Male/ Female / Transgender person

Place of Birth: 1. Hospital / Institution 2. House 3. Other place

- M M

Remarks (if any):

Date of Birth:

Name and signature of the Registrar

Instructions for completing the Form 3: STILL BIRTH REPORT

Item No.	Instructions
1	Date, wherever it occurs, is to be provided in dd-mm-yyyy format, where dd is date in two digits, mm is month in two digits and yyyy is year in four digits Wherever the date is written in words it should be written in full e.g 01-01-2023 shall be written as First January two thousand twenty-three. Use Only 'Arabic numerals' such as 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 for recording dates and other numerical entries.
2	Enter "Male" or "Female" or "Transgender Person". Do not use abbreviation.
3,4,6	Name, wherever it occurs, is to be provided in the format of [first name] [middle name] [last name] where full name (not abbreviation) to be written in capital letters and first name is mandatory. There should be minimum two characters in either [first name] or [middle name] or [last name].
5,6	Address, wherever it occurs, shall contain the name of State or Union Territory, District, Sub-district/Tehsil, Town or Village, Ward number (in case of town and if available), Locality, House number and PIN Code.

5	For Place of	e of birth tick the appropriate entry					
	Hospital/Institution						
	2. House						
	3. Other place						
	Give the nar	ne and addres	s of the	"Hospital/In	stitution" or the ad	dress of t	he "House" or 'Other
		e the birth took					
7							lly lives. This can be
		n the place wh	ere the	delivery occ	curred. The house	address i	s not required to be
0	entered.						
9		cation-Write c			T		
	1.Pre-	6.Class 5	11.Cla	ass 10	16.Bachelor/ Und	der	21.Literate without
	Primary				graduate		formal education
	2.Class 1	7.Class 6	12.Cla	ass 11	17.PG Diploma		22. Illiterate
	3.Class 2	8.Class 7	13.Class 12		18.Master/ Post		
					graduate		
	4.Class 3	9.Class 8	14.ITI		19.M. Phil		
	5.Class 4	10.Class 9	15.Diploma/		20.Doctorate & a	ıbove	
			Certificate				
	(Enter the completed level of education e.g. if studied up to class VII but passed only class VI, write						
	class VI)						
12.	2. Cause of foetal death–Write one of following—						
	1.Bleeding	(Hamorrhage)		7.Diabetes in the mother		13.Infection in the mother	
						Parvovirus B19	
	2.Problems with Placental 3.Problem with umbilical cord 4.Pre-eclampsia		8.Infection in the mother		14.Infection in the mother Q		
			Coxsackie		fever		
			cord		in the mother	15.Infection in the mother Rubella (German measles)	
			Herpes sir	n in the mother		ction in the mother Flu	
	4.Pre-eciar	прыа		Leptospiro		16.inle	ction in the mother Flu
	5 Genetic r	hysical defect	in		n in the mother	17 Infe	ction in the mother
	the baby	iny siour delect		Lyme dise		Toxopla	
	6.Liver disorder in the mother			12.Infection in the mother		18.Not	
	(obstestric cholestas)			Malaria			

Note: The informant must ensure that no item in the Still Birth Report Form is left blank to the extent possible.

FORM NO.4

(see rule 7)

MEDICAL CERTIFICATE OF CAUSE OF DEATH

(Hospital In-patients. Not to be used for still birth)

To be sent to Registrar along with Form No. 2 (Death Report)
A copy of this certificate to be provided to the nearest relative of the deceased

Name of the Hospital	
I hereby certify that the person whose particulars are given below die	ed in the hospital in Ward No
On D D - M M - Y Y Y	at A.M. /P.M.
Manner of death 1. Natural 2. Accident 3. Suicide 4. Homicide 5. Pending investigation	How did the injury occur?
If deceased was a female, was pregnancy the death associated with?	1. Yes 2. No

NAME OF DECEASED:		First Name	Middle Name	Last Name	For use of Statistical Office
		Age	at Death		1
Sex	If 1 year or more,	If less than 1 year, age	If less than one	If less than one day,	
	age in years	in month	month, age in days	age in hours	
1. Male					
2. Female					
3. Transgender					
Person				Interval between	
I Immediate cause State the disease, injury or co Caused death, not the mode of Failure, asthenia, etc.			consequences of)	Interval between onset and death approx.	
Antecedent cause Morbid conditions, if any, giving rise to the above Cause, stating underlying conditions last		, ,	consequences of)		
II Other significant conditions contributing to the death But not related to the disease or condition causing it		' '			

SEE REVERSE FOR INSTRUCTIONS

MEDICAL CERTIFICATE OF CAUSE OF DEATH

Directions for completing the form

Name of deceased: To be provided in the format of [first name] [middle name] [last name] where full name (not abbreviation) to be written in capital letters and first name is mandatory. There should be minimum two characters in either [first name] or [middle name] or [last name]. If deceased is an infant, not yet named at time of death, leave blank.

Age: If the deceased was over 1 year of age, give age in completed years. If the deceased was below 1 year of age, give age in months and if below1month give age in completed number of days, and if below one day, in hours.

Cause of Death: This part of the form should always be completed by the attending physician personally.

The certificate of cause of death is divided into two parts, I and II. Part I is again divided into three parts, lines (a) (b)(c). If a single morbid condition completely explains the deaths, then this will be written on line (a) of Part I, and nothing more need be written in the rest of Part I or in Part II, for example, smallpox, lobar pneumonia, cardiac beriberi, are sufficient cause of death and usually nothing more is needed.

Often, however, a number of mor bid conditions will have been present at death, and the doctor must then complete the certificate in the proper manner so that the correct underlying cause will be tabulated. First, enter in Part I(a) the immediate cause of death. This does not mean the mode of dying, e.g., heart failure, respiratory failure, etc. These terms should not be appear on the certificate at all since they are modes of dying and not causes of death. Next consider whether the immediate cause is a complication or delayed result of some other cause. If so, enter the antecedent cause in Part I, line(b). Sometimes there will be three stages in the course of events leading to death. If so, line (c) will be completed. The underlying cause to be tabulated is always written in last in Part I.

Morbid conditions or injuries may be present which were not directly related to the train of events causing death but which contributed in some way to the fatal outcome. Sometimes the doctor finds it difficult to decide, especially for infant deaths, which of several independent conditions was the primary cause of death; but only one cause can be tabulated, so the doctor must decide. If the other diseases are not effects of the underlying cause, they are entered in Part II.

Do not write two or more conditions on a single line. Please write the names of the diseases (in full) in the certificates as legibly as possible to avoid the risk of their being misread.

Onset: Complete the column for interval between onset and death whenever possible, even if very approximately, e.g., "from birth" "several years".

Accidental or violent deaths: Both the external cause and the nature of the injury are needed and should be stated. The doctor or hospital should always be able to describe the injury, stating the part of the body injured, and should give the external cause in full when this is shown. Example: (a) Hypostatic pneumonia; (b) Fracture of neck of femur; (c) Fall from ladder at home.

Maternal deaths: Be sure to answer the question on pregnancy and delivery. This information is needed for all women of child-bearing age, even though the pregnancy may have had nothing to do with the death

Old age or senility: Old age (or senility) should not be given as a cause of death if a more specific cause is known. If old age was a contributory factor, it should be entered in Part II. Example: (a) Chronic bronchitis, II old age.

Completeness of information: A complete case history is not wanted, but, if the information is available, enough details should be given to enable the underlying cause to be properly classified.

Example: Anaemia – Give type of anaemia, if known. Neoplasm – Indicate whether benign or malignant, and site, with site of primary neoplasm, whenever possible, Heart disease – Describe the condition specifically; if congestive heart failure, chronic on pulmonale, etc., are mentioned, give the antecedent conditions. Tetanus – Describe the antecedent injury, if known. Operation – State the condition for which the operation was performed. Dysentery – Specify whether bacillary, amoebic, etc., if known. Complications of pregnancy or delivery – Describe the complication specifically, Tuberculosis – Give organs affected.

Symptomatic statement: Convulsions, diarrhea, fever, ascites, jaundice, debility, etc., are symptoms which may be due to any one of a number of different conditions. Sometimes nothing more is known, but whenever possible, give the disease which caused the symptom.

Manner of Death: Deaths not due to external cause should be identified as 'Natural'. If the cause of death is known, but it is not known whether it was the result of an accident, suicide or homicide and is subject to further investigation, the cause of death should in variably be filled in and the manner of death should be shown as 'Pending investigation'.

In accordance with the provisions of section 10(2) of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (amended in 2023), a certificate of cause of death shall be given to the Registrar and a copy of the same to the nearest relative of the deceased.

FORM NO.4A

(see rule 7)

MEDICAL CERTIFICATE OF CAUSE OF DEATH

(For non-institutional deaths. Not to be used for still births)

(To be given to the person required under the Registration of Births and Deaths Act, 1969 to give information concerning the death to Registrar along with Form No. 2(Death Report)

		YY	at	,	
NAME OF DECEASED:		First Name	Middle Name	Last Name	For use of Statistical Office
Sex		Age at	Death		-
	If 1 year or more, age in years	If less than 1 year, age in month	If less than one month, age in days	If less than one day, age in hours	
Male Female Transgender Person					
CAUSE OF DEATH		(a)		Interval between onset and death approx.	
Immediate cause State the disease, injury or or Caused death, not the mode Failure, asthenia, etc.	•	•	r as a consequences of)		
Antecedent cause Morbid conditions, if any, giv cause, stating underlying con	_	due to (c	r as a consequences of)		
II Other significant conditions co	ntributing to the dea	th ` ′			
ed was a female, was pregnancy the		rith? 1.Yes	2. No		
es, was there a delivery?	1. Yes 2. No	Name and signature	of the Medical Practition	er certifying the ca	ause of death
		Date of ve	rification: D [D - M M	- Y Y Y

MEDICAL CERTIFICATE OF CAUSE OF DEATH

Directions for completing the form

Name of deceased: To be provided in the following format of [first name] [middle name] [last name] where full name (not abbreviation) to be written in capital letters and first name is mandatory. There should be minimum two characters in either [first name] or [middle name] or [last name]. If deceased is an infant, not yet named at time of death, leave blank.

Age: If the deceased was over 1 year of age, give age in completed years. If the deceased was below 1 year of age, give age in months and if below1month give age in completed number of days, and if below one day, in hours.

Cause of Death: This part of the form should always be completed by the attending physician personally.

The certificate of cause of death is divided into two parts, I and II. Part I is again divided into three parts, lines (a) (b) (c). If a single morbid condition completely explains the deaths, then this will be written on line (a) of Part I, and nothing more need be written in the rest of Part I or in Part II, for example, smallpox, lobar pneumonia, cardiac beriberi, are sufficient cause of death and usually nothing more is needed.

Often, however, a number of morbid conditions will have been present at death, and the doctor must then complete the certificate in the proper manner so that the correct underlying cause will be tabulated. First, enter in Part I(a) the immediate cause of death. This does not mean the mode of dying, e.g., heart failure, respiratory failure, etc. These terms should not be appear on the certificate at all since they are modes of dying and not causes of death. Next consider whether the immediate cause is a complication or delayed result of some other cause. If so, enter the antecedent cause in Part I, line (b). Sometimes there will be three stages in the course of events leading to death. If so, line (c) will be completed. The underlying cause to be tabulated is always written in last in Part I.

Morbid conditions or injuries may be present which were not directly related to the train of events causing death but which contributed in some way to the fatal outcome. Sometimes the doctor finds it difficult to decide, especially for infant deaths, which of several independent conditions was the primary cause of death; but only one cause can be tabulated, so the doctor must decide. If the other diseases are not effects of the underlying cause, they are entered in Part II.

Do not write two or more conditions on a single line. Please write the names of the diseases (in full) in the certificates as legibly as possible to avoid the risk of their being misread.

Onset: Complete the column for interval between onset and death whenever possible, even if very approximately, e.g., "from birth" "several years".

Accidental or violent deaths: Both the external cause and the nature of the injury are needed and should be stated. The doctor or hospital should always be able to describe the injury, stating the part of the body injured, and should give the external cause in full when this is shown. Example:(a) Hypostatic pneumonia;(b) Fracture of neck of femur;(c) Fall from ladder at home.

Maternal deaths: Be sure to answer the question on pregnancy and delivery. This information is needed for all women of child-bearing age, even though the pregnancy may have had nothing to do with the death.

Old age or senility: Old age (or senility) should not be given as a cause of death if a more specific cause is known. If old age was a contributory factor, it should be entered in Part II. Example:(a) Chronic bronchitis, II old age.

Completeness of information: A complete case history is not wanted, but, if the information is available, enough details should be given to enable the underlying cause to be properly classified.

Example: Anaemia – Give type of anaemia, if known. Neoplasm – Indicate whether benign or malignant, and site, with site of primary neoplasm, whenever possible, Heart disease–Describe the condition specifically; if congestive heart failure, chronic on pulmonale, etc., are mentioned, give the antecedent conditions. Tetanus – Describe the antecedent injury, if known. Operation – State the condition for which the operation was performed. Dysentery – Specify whether bacillary, amoebic, etc., if known. Complications of pregnancy or delivery– Describe the complication specifically, Tuberculosis –Give organs affected.

Symptomatic statement: Convulsions, diarrhea, fever, ascites, jaundice, debility, etc., are symptoms which may be due to any one of a number of different conditions. Sometimes nothing more is known, but whenever possible, give the disease which caused the symptom.

In accordance with the provisions of section 10(3) of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (amended in 2023), a certificate of cause of death shall be given to the person required under this Act to give information concerning the death.



सं. No.

Form No. -5 (see rule 8 and 13) राजस्थान सरकार

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय

प्रमाणपत्र जारी करने वाले स्थानीय क्षेत्र / निकाय का नाम DIRECTORATE OF ECONOMICS AND STATISTICS Name of local area / body issuing certificate

जन्म प्रमाण–पत्र

BIRTH CERTIFICATE

(जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (2023	में संशोधित) की धारा 12/17 तथा राजस्थान जन्म और मृत्यु
रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 (2025 में संशोधित) के नियम	ा 8 ∕ 13 के अंतर्गत जारी किया गया।)
(Issued under section 12/17 of the Registration	of Births and Deaths Act, 1969 (amended in 2023) and
	ns and Deaths Rules, 2000 (amended in 2025)).
यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सूचना ज	नन्म के मूल लेख से ली गई है जो कि (स्थानीय क्षेत्र/निकाय)
ব	प–जिला / तहसील
जिलाराज्य	के रजिस्टर में उल्लिखित है
This is to certify that the following information	has been taken from the original record of birth which
is the register for (local area/local body)	of Sub-district/Tehsil
of District	.of State/Union territory
नाम / Name:	
लिंग / Sex	
जन्म तिथि / Date of Birth	
जन्म स्थान / Place of birth	
माता का नाम / Name of Mother	
माता का आधार न. / Aadhaar No. of Mother	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
पिता का नाम / Name of Father	
पिता का आधार नं. / Aadhaar No. of father	x x x x x x x x x
बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता/	माता पिता का स्थायी पता/
Address of parents at the time of birth of child	Permanent address of parents
पंजीकरण संख्या / Registration No	पंजीकरण दिनांक / Date of Registration
टिप्पणी / Remarks (if any)	
जारी करने की तिथि / Date of issue	
	प्राधिकारी के हस्ताक्षर / Signature of the issuing authority
	प्राधिकारी का पता / Address of the issuing authority

प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित करें। Ensure registration of every birth and death

मुहर / Seal



सं. No.

Form No. -6 (see rule 8 and 13) राजस्थान सरकार GOVERNMENT OF RAJASTHAN



आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय

प्रमाणपत्र जारी करने वाले स्थानीय क्षेत्र / निकाय का नाम DIRECTORATE OF ECONOMICS AND STATISTICS Name of local area / body issuing certificate

मृत्यु प्रमाण—पत्र DEATH CERTIFICATE

(जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (2023	3 में संशोधित) की धारा 12/17 तथा राजस्थान जन्म और मृत्यु
रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 (2025 में संशोधित) के निय	म 8 / 13 के अंतर्गत जारी किया गया।)
(Issued under section 12/17 of the Registration	n of Births and Deaths Act, 1969 (amended in 2023) and
Rule 8/13 of the Rajasthan Registration of Birt यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सूचना	ths and Deaths Rules, 2000 (amended in 2025)). मृत्यु के मूल लेख से ली गई है जो कि (स्थानीय क्षेत्र / निकाय) उप–जिला / तहसील
	के रजिस्टर में उल्लिखित है
This is to certify that the following information is the register for (local area/local body)of Districtof State/Union	has been taken from the original record of death whichof sub-district /Tehsil
नाम/Name	
मृतक का आधार न. / Aadhaar No. of deceased लिंग/Sex	d
मृत्यु की तिथि/Date of death	
मृत्यु का स्थान/Place of death	
माता का नाम/Name of Mother	
माता का आधार न./Aadhaar No. of Mother	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
पिता का नाम / Name of Father	
पिता का आधार न./Aadhaar No. of Father	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
पति / पत्नी का नाम/Name of Husband/Wife	
पति / पत्नी का आधार न./Aadhaar no. of Husb	
मृतक का मृत्यु के समय का पता /	मृतक का स्थायी पता/
Address of the deceased at the time of Death	Permanent Address of the deceased
पंजीकरण संख्या/Registration No टिप्पणी/Remark (if any) जारी करने की तिथि/Date of issue	पंजीकरण दिनांक/Date of Registration
•	प्राधिकारी के हस्ताक्षर/ Signature of the issuing authority
	प्राधिकारी का पता / Address of the issuing authority
	मुहर / Seal

प्रत्येक जन्म एवम् मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित करें / Ensure registration of every birth and death

FORM NO. 7

(see rule 12)

BIRTH REGISTER Legal information

This part to be added to the Birth Register

To be filled by the informant
1. Date of Birth: D D - M M - Y Y Y Y
2.Sex: (Enter "Male" or "Female" or "Transgender person")
3.Child's Details (if not named, leave blank): -
(a) Name, if any: First Name Middle Name Last Name
(b) Aadhaar No. (if available)
4. Father's Details: -
(a) Name First Name Middle Name Last Name
(b) Aadhaar No. (if available)
(c) Mobile No:
(d) Email id:
5. Mother's Details: -
(a) Name: First Name Middle Name Last Name
(b) Aadhaar No. (if available)
(c) Jan Aadhaar family identity No.(if available):
(d) Mobile No:
(e) Email id:
6. Address of parents at the time of birth of the Child: House No:
Locality: Ward number (in case of town and if available):
Town or Village: Sub-district/Tehsil: District
State or Union Territory: PIN Code:
7. Permanent address of parents: House No:
Locality: Ward number (in case of town and if available):
Town or Village: Sub-district/Tehsil: District
State or Union Territory: PIN Code:
8. Place of birth (Tick the appropriate entry 1 or 2 or 3 below and give the name and address of
the "Hospital/ Institution "or the address of the "House" or 'Other place' where the birth took
place): 1. Hospital / Institution 2. House 3. Other place
1. Hospital / Institution 2. House 3. Other place Name of Hospital/Institution: Address of 1/2/3: House No:
Locality: Ward number (in case of town and if available):
Town or Village: Sub-district/Tehsil: District:
State or Union Territory: PIN Code:
9. Informant's Details:
(a) Name: First Name Middle Name Last Name
(b) Aadhaar No. (if available) (c) Mobile No:
(d) Email id:
(e) Address: House No:
Locality: Ward number (in case of town and if available):
Town or Village: Sub-district/Tehsil: District
State or Union Territory: PIN Code:
DECLARATION: I have furnished true information to the best of my knowledge and belief. I am aware of the penalties under section 23 of the Registration
of Births and Deaths Act, 1969 (amended in 2023) for submitting false information. Also, I give consent, under Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and
Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016, for authenticating identity by way of Aadhaar authentication.
(After completing all columns 1 to 9, informant will put date and signature)
Date: D D - M M - Y Y Y Y
Signature or left thumb mark of the informant
To be filled by the Registrar
Registration No.:
Registration Date: D D - M M - Y Y Y Y Y
Registration unit:
Town/ Village: Sub- district/Tebsil
Sub- district/Tehsil:

Name and Signature of the Registrar

To be filled by the informant

FORM NO.8

(see rule 12)

DEATH REGISTER

Legal information

This part to be added to the Death Register

1. Date	of Death D D - M M - Y Y Y Y
2. Dece	ased's Details: -
(a)	Name: First Name Middle Name Last Name
(b)	Aadhaar No. (If available):
(c)	Date of Birth (If available): DDD-MMYYYYY
(d)	Age:
•	Enter "Male" or "Female" or "transgender person"):
	er's details: -
` '	Name: First Name Middle Name Last Name
	Aadhaar No. (If available):
` '	Mobile No:
` '	Email Id:
	her's Details: -
` '	Name: First Name Middle Name Last Name
(b)	Aadhaar No. (If available):
٠,	Mobile No: Email ld: puse's (husband/wife) Details: -
(a) Na	ame: First Name Middle Name Last Name
(b) ^-	
(D) Ac	adhaar No. (If available):
	n Aadhaar family identity No.(if available):
. ,	ate of Birth (if available): D D - M M - Y Y Y Y ge (in completed years):
(f) M (g) En	obile No: nail Id:
Localit Town	ddress of the deceased at the time of death: House No: ty: Ward number (in case of town and if available): or Village: Sub-district/Tehsil: or Union Territory: PIN Code:
	rmanent address of the deceased: House No:
Localit	
	or Village: Sub-district/Tehsil: District: or Union Territory: PIN Code:
State	of official fermion).
	ace of death (Tick the appropriate entry 1 or 2 or 3 below and give the name and address of the "Hospital/Institution" or the address of the "House" or "Other where the death took place):
1. Hos	spital / Institution 2. House 3. Other place
Name	of Hospital/Institution: Address of 1/2/3: House No:
Localit	
	or Village: Sub-district/Tehsil: District:
State	or Union Territory: PIN Code:
10. Inf	formant's Details: -
(a)	Name: First Name Middle Name Last Name
(b)	Aadhaar No. (If available):
(c)	Jan Aadhaar family identity No.
	(if available): Mobile No:
	Email Id:
٠,	Address: House No:
L	Locality: Ward number (in case of town and if available):
	own or Village: Sub-district/Tehsil: District:
S	tate or Union Territory: PIN Code:

DECLARATION: I have furnished true information to the best of my knowledge and belief. I am aware of the penalties under section 23 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (amended in 2023) for submitting false information. Also, I give consent, under Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016, for authenticating identity by way of Aadhaar authentication.

To the best of my knowledge and information, the detail of Aadhaar of the deceased is not available.

(After completing all columns 1 to 10, Informant will put date and signature)

Date:

DD-MM-1YYYY	Signature or Left thumb mark of the Informant
	filled by the Registrar
Registration No:	
Registration Date: DDD-MMM-YYYY	
Registration Unit: Town /Village: Sub-district/Tehsil: District: Remarks (if any): Cause of death (As per Form 4/4A):	
	Name and signature of the Registrar
FORM NO. 9 (see rule 12) STILL BIRTH REGISTER Legal information This part to be added to the Still Birth Regi To be filled by the informant	ister
Date of Birth: D D - M M - Y Y Y Y Sex (Enter "Male" or "Female" or "Transgender person"):	
3. Father's Details: -	
(a)Name First Name Middle Name Last Name (b) Aadhaar No. (If available):	
(a) Name: First name Middle Name Last Name (b) Aadhaar No. (If available):	available):
6. Place of birth (Tick the appropriate entry 1 or 2 or 3 below and give the name and address of he "Hospital/ Institution" or the address of the "House" or 'Other place' where the birth took place): 1. Hospital / Institution 2. House 3. Other place Name of Hospital/Institution: Address of 1/2/3: Locality: Ward number (in case of town and if available): Town or Village: Sub-district/Tehsil: District: State or Union Territory: PIN Code:	
S. Informant's Details: (a) Name (b) Aadhaar No. (if available) (c) Mobile No: (d) Email id: (e) Address: Locality: Ward number (in case of town and if available):	
Town or Village: Sub-district/Tehsil: District: State or Union Territory: PIN Code: DECLARATION: I have furnished true information to the best of my knowledge and belief. I are of Births and Deaths Act, 1969 (amended in 2023) for submitting false information. Also, I giv Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016, for authenticating identity by way of Aadh (After completing all columns 1 to 6, Informant will put date and signature)	re consent, under Aadhaar (Targeted Delivery of Financial a
Date: D D - M M - Y Y Y Y	Signature or left thumb mark of the informant
To be filled by the Registrar	
Registration No. : Registration Date: D D - M M - Y Y Y Y Registration Unit: Town/ Village: Sub-district/Tehsil: District: Remarks (if any):	

FORM No. 10

(see rule 13)

NON - AVAILABILITY CERTIFICATE

(Issued under Section 17 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (amended in 2023))

_			_)	_
			of			of
					vent relating to the birth/death	of
		son/ daughter of .		was not registered.		
-		4 N4				
Date:	D - N	1 M - Y Y	YY			
					Signature of issuing authority	
					Cool	
					Seal	
			FORM No. 11			
		SU	(see rule 14) MMARY MONTHLY REPO	RT OF BIRTHS		
		-		5. 5		
	1. Report fo	or the Month of:	Year:			
	2. District:					
	3. Town/Vil	llage:				
	4. Registrat	tion Unit:				
	F. Nivon box	of Diutho Docistoned du	ui.a.a. t.b.a a.a.t.b			
	5. Number	of Births Registered du	ring the month:			
	5. Number			Transgender Pers	son Total*	7
	5. Number	of Births Registered du	Female (2)	Transgender Pers	son Total* (1+2+3)	1
	5. Number	Male	Female	_		
	5. Number	Male	Female	_		
		Male	Female (2)	_		
	6. Time	Male (1) e Gap in Birth registration	Female (2)	_		
	6. Time	Male (1)	Female (2)	_		
	6. Timo (a) W	Male (1) e Gap in Birth registration	Female (2)	(3)		
	6. Time (a) Wi (b) Me	Male (1) e Gap in Birth registrati ithin Time limit (21 days	Female (2) on: s) of their occurrence:	(3)		
	6. Time (a) Wi (b) Me	Male (1) e Gap in Birth registrati ithin Time limit (21 days	Female (2) on: s) of their occurrence:	(3)		
	6. Time (a) Wi (b) Me (c) Me	Male (1) e Gap in Birth registrati ithin Time limit (21 days	Female (2) on: s) of their occurrence: ithin 30 days of their occur	(3)		
T-0-13 /a - 1	6. Time (a) Wi (b) Me (c) Me (d) Af	Male (1) e Gap in Birth registration ithin Time limit (21 days ore than 21 days but wing ore than 30 days but wing	Female (2) on: s) of their occurrence: ithin 30 days of their occur	(3)		
Total* (a + b + c +	6. Time (a) Wi (b) Me (c) Me (d) Af	Male (1) e Gap in Birth registration ithin Time limit (21 days ore than 21 days but wing ore than 30 days but wing	Female (2) on: s) of their occurrence: ithin 30 days of their occur	(3)		
* Total should I	6. Time (a) Wi (b) Me (c) Me (d) Af	Male (1) e Gap in Birth registration ithin Time limit (21 days ore than 21 days but without the standard days but without the	Female (2) on: s) of their occurrence: ithin 30 days of their occur	rence:		
·	6. Time (a) Wi (b) Me (c) Me (d) Af	Male (1) e Gap in Birth registration ithin Time limit (21 days ore than 21 days but without the standard days but without the	Female (2) on: s) of their occurrence: ithin 30 days of their occur thin one year of their occur currence:	rence:	(1+2+3)	
* Total should l	6. Time (a) Wi (b) Me (c) Me (d) Af	Male (1) e Gap in Birth registration ithin Time limit (21 days ore than 21 days but without the standard days but without the	Female (2) on: s) of their occurrence: ithin 30 days of their occur thin one year of their occur currence:	rence:		ttrar

Submitted to the Chief Registrar/District Registrar

FORM NO.12

(see rule 14)

SUMMARY	MONTHLY	REPORT (OF DEATHS

	1.	Report for th	e month	of:		Ye	ear					
	2.	District:										
	3.	Town/Village	<u>:</u> :									
	4.	Registration	Unit:									
	5.	Details of De	aths Regi	stered du	uring the mo	onth:						
Deaths (Inc		nt deaths & Child al Deaths)	Deaths &	Infant D	eaths (Age less	than one year	-)	Child D	eaths (Age on	e year or more but le years)	ss than five	Maternal Deaths
Male		Transgender Person	Total*	Male	Female	Transgende Person	r Total	Male	Female	Transgender Person	Total	
Date:	(b) (c) (d) Total show Total show Total show Report for District Town/Villa Registration	_ M ref Registrar /D the month: _	1 days but days but days but ar of their linfant and the number of the n	at within a within control of some of	30 days of tone year of ence: Deaths & Maintain	their occurre their occur aternal Dea rt of Death	rence: ths should Report For	ms (Form	No. 2) atta	ne Deaths. ched with this m Signature and		
		/lale (1)			Female (2)	Tra	nsgender I	Person (3)		*Total (1+2+3		
Date:	(a) With (b) Mor (c) Mor (d) Afte Total*(a al should be	in Still Birth repairs Time Limit re than 21 days to the rone year of the total to the role and to the role an	(21 days) s but with s but with their occu	of their of in 30 day in one yearrence: Testatistic Y	ys of their or ear of their of al part of St	ccurrence: occurrence: ill Birth Rep	ort Forms (Form no.	3) attached	d with this month Signature and		ne Registrar

14. Addition of new Form No. 14 and 15.- After the Form No. 13, so substituted, the following new Form No. 14 and 15 shall be added, namely: -

"Form No. 14 (see rule 9)

Format of Self-attested document for Delayed Reporting of BIRTH/DEATH under Section 13(2) of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (amended in 2023) DECLARATION

				DECLARATI	ON							
I			., son/daughter/wife	eof.		, resident of		do h	ereby declare t	hat:		
1.	I am the inf		yed reporting of Bi	rth/Death of	(name	of child/deceased))	8	son/daughter/sp	pouse		
2.	He/she was	born/died on	(date of birth/dear	th) at (place of bir	th/death)	,					
3.	He/she was	attended at birth/de	eath by	who resides at		. ,						
4.	The reason(s) for the delay in r	eporting of his/her	birth/ death are		;						
5.	His /her bir	th/death certificate	is required for the p	urpose of		.,						
			nformation is true a y knowledge and be	•	rted the abo	ve event to any Ro	egistrar a	nd no birth/	death certificat	te has		
Date:	D D	- M M -	YYYY	Y		Name and Si	ignature (or thumb m	ark of the infor	rmant		
Notes:												
in four dig	gits Wherever	the date is written	ed in DD-MM-YYY in words it should 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 fo	be written in full e	e.g 01-01-20	023 shall be writte		_		-		
			ded in the format of ry. There should be			-		•	,	ritten		
		occurs, shall contair Union Territory an	the House number d PIN Code.	, Locality, Ward nu	mber (in ca	se of town and if a	available)	, Town or \	/illage, Sub- dis	trict/		
				Form No. 1	i							
				(see rule 16 /	•							
			(To be submit	FORM FOR APF ted to District Regi		Registrar)						
		(under sect	on 25A of the Regis	stration of Births a	nd Deaths A	Act, 1969 (amended	d in 2023))					
	rieved by istrar/District		or order of office to be provid	of: Registrar/ ded as below)	District	Registrar or	any	officer	authorized	to		
State	District	Sub – district/Tehsil	Village/Town	Locality	RU ID	RU ID Name of Registrar/Distt. Registrar or any officer authoract as Registrar/District Registrar						
		•	h date and order n	-	1	1						
(Provide a	detailed acco	ount of the occurre	nce, use attachmen	ts, if necessary)						$\overline{}$		

 $\textbf{DECLARATION:} \ \textbf{I} \ \textbf{have furnished true information to the best of my knowledge and belief.}$

Appellant details:		D	Date	D	D	-	М	М	-	Υ	Υ	Υ	Υ
Name	Address	Aadhaar no.		E-mail Id	t			M	lobile	No			

Notes:

- 1. Please retain a copy of this form for your own records.
- Appeal, if any, must be submitted to District Registrar/Chief Registrar within a period of 30 days from the date of such action or receipt of such order with which the person is being aggrieved.
- 3. Date, wherever it occurs, is to be provided in DD-MM-YYYY format, where DD is date in two digits, MM is month in two digits and YYYY is year in four digits. Wherever the date is written in words it should be written in full eg 01-01-2023 shall be written as First January two thousand twenty-three. Use only 'Arabic numerals' such as 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 for recording dates and other numerical entries.
- 4. Name, wherever it occurs, is to be provided in the format of [first name] [middle name] [last name] where full name (not abbreviation) to be written in capital letters and first name is mandatory. There should be minimum two characters in either [first name) or [middle name] or [last name).
- 5. Address, wherever it occurs, shall contain the House number, Locality, Ward number (in case of town and if available), Town or Village, Sub- district/Tehsil, District, State or Union Territory and PIN Code.".

[No.: F13/1/3/Rule- 2024/VS/DES/2024/107] **By order of the Governor,**

Anupama Jorwal, **Special Secretary to the Government.**

Government Central Press, Jaipur.